बुधवार,
९ दिसंबर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

बुद्धवार, ९ दिसम्बर, १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नगर तथा प्रादेशिक आयोजन विद्यालय

*७५७. **श्री एस० एन० दास :** क्या **शिक्षा** मंत्री तारांकित प्रश्न संख्या ९३२ के १ सितम्बर, १९५३ को दिये गये उत्तर का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अखिल भारतीय टेक्नीकल शिक्षा परिषद् की सिफ़ारिश के अनुसार दिल्ली में एक नगर तथा प्रादेशिक आयोजन विद्यालय (स्कूल आफ टाउन एण्ड रीजनल प्लानिंग) की स्थापना के सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ;

(ग) क्या नगर आयोजक संस्था (इंस्टीट्यूट आफ टाउन प्लानर्स) ने योजना स्वीकार कर ली है और इसे क्रियान्वित करने का फैसला कर लिया है ; तथा

(घ) सरकार ने उक्त विद्यालय को कितनी वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (घ) . सदन-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १६**]

श्री एस० एन० दास : क्या नगर आयोजक संस्था ने अखिल-भारतीय टेक्नीकल शिक्षा परिषद् को कोई योजना भेजी है तथा यदि भेजी है, तो उसकी प्रमुख बातें क्या हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : नगर आयोजक संस्था द्वारा एक योजना भेजी गई थी । सारी योजना पर सरकार द्वारा विचार किया गया था और अब भी किया जा रहा है । अन्तिम प्रस्थापना यह है कि दिल्ली में एक नगर तथा प्रादेशिक आयोजन विद्यालय स्थापित किया जाय । यह एक स्वायत्तशासी निकाय हो और उस बोर्ड में सरकार के, नगर आयोजक संस्था और इंजीनियर संस्था (इंस्टीट्यूट आफ एंजीनियर्स) के प्रतिनिधि हों । विद्यालय का प्रशासन तथा प्रबन्ध उस संचालक निकाय के हाथ में होना चाहिये ।

श्री एस० एन० दास : क्या इस प्रकार का कोई और विद्यालय भी देश में अन्यत्र विद्यमान है तथा यदि है, तो कहां ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे ऐसी किसी अन्य संस्था का पता नहीं है ।

श्री एस० एन० दास : इस योजना पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

श्री के० डी० मालवीय : अनुमान है कि इस पर आवर्तक व्यय ७५,००० रुपये और अनावर्तक व्यय २·३४ लाख रुपये होगा ।

श्री एस० एन० दास : क्या इस विद्यालय का प्रबन्ध किसी अन्य देश से बुलवाये गये किसी विशेषज्ञ द्वारा करवाया जायगा या हमारे अपने लोगों द्वारा ?

श्री के० डी० मालवीय : इस प्रश्न पर भी यथासमय विचार किया जायेगा ।

लेखापरीक्षा तथा राज्यकोष विधेयक

*७५८. **श्री एस० एन० दास :** क्या **वित** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मंत्रालय के १९५२-५३ के प्रतिवेदन में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा तथा राज्य-कोष विधेयक का प्रारूप अब तैयार हो गया है ; तथा

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) अभी नहीं ।

(ख) एक लेखापरीक्षा तथा राज्यकोष विधेयक का अधिनियमन केवल ऐसे बड़े बड़े परिवर्तनों के सिलसिले में व्यावहारिक महत्व एवं आवश्यकता का विषय हो जाता है जैसे कि लेखापरीक्षक विभाग का लेखा विभाग से पृथक किया जाना तथा राज्यकोष निर्गम तथा नियन्त्रण प्रणाली का लागू किया जाना । जैसा कि मैंने माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या ४४३ तथा ५९९ के उत्तर में क्रमशः १ तथा ४ दिसम्बर १९५३ को बताया था, इन परिवर्तनों में जटिल लेखा सम्बन्धी, प्रशासनीय तथा वित्तीय समस्याएं अन्तर्ग्रस्त हैं जिन्हें सुलझाने में अभी समय लगेगा ।

श्री एस० एन० दास : क्या भारत सरकार के लेखापरीक्षा तथा लेखा आदेश, १९३६ में, जिसके अन्तर्गत महालेखापरीक्षक के कार्य तथा शक्तियां विनियमित की जा रही हैं, नये संविधान के लागू होने के बाद कोई सारवान परिवर्तन हुए हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : उस आदेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

श्री एस० एन० दास : क्या लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग में सेवायुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों और नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक की संविधान के अनुच्छेद १४८ में दी हुई शक्तियों के सम्बन्ध में विधि बनाने की प्रस्थापनाएं विचाराधीन हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह चीज नये विधान के, जब कभी भी यह बनाया जाये, अन्तर्गत आयोगी ।

श्री एस० एन० दास : क्या ऐसी संस्थाओं के लेखों की लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में कोई झगड़ा उठ खड़ा हुआ है जो पूर्ण या आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित की जाती हैं ; और यदि हां, तो यह झगड़ा किस प्रकार का है ?

अध्यक्ष महोदय : किसके साथ या किस के बीच ?

श्री एस० एन० दास : प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों जैसी कुछ उन संस्थाओं तथा निकायों की सांवैधानिक स्थिति सम्बन्धी झगड़ा, जिन के विषय में कोई लेखापरीक्षा नहीं होती । उनकी लेखापरीक्षा चारटर्ड एकाउन्टैन्ट द्वारा की जाती है ।

श्री सी० डी० देशमुख : वैसे ही एक बात उठाई गई है, पर यह कोई झगड़ा नहीं है ।

भारत-अमरीका टैक्नीकल सहयोग योजना

*७६१. **डा० राम सुभग सिंह :** (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक संयुक्त राज्य अमरीका से कितने भारतीय टेक्नीशियन भारत अमरीका टेक्नीकल सहयोग योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित होकर वापस लौटे हैं ?

(ख) इस समय इस योजना के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका में कितने भारतीय टेक्नीशियन हैं ?

(ग) इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये कितने और भारतीय टेक्नीशियन चुने गये हैं ?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) १५२

(ख) ६०

(ग) १०१

डा० राम सुभग सिंह : यह जो १५२ आदमी अमरीका से शिक्षा पाकर लौटे हैं उनमें से वहां जाने के कबल कितने सरकारी ओहदों पर थे ?

श्री बी० आर० भगत : उनको चुनने के समय जो उसूल थे उनमें यह था कि वे लोग चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, या स्टेट गवर्नमेंट्स के हों या प्राइवेट आरगेनाइज़ेशन्स के हों। वे सब लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, या स्टेट गवर्नमेंट्स के या प्राइवेट आरगेनाइजेशन्स के थे, सब के सब लोग हुए हैं।

डा० राम सुभग सिंह : वहां जा कर जिन लोगों को टेक्नीकल शिक्षा मिली है, वहां से लौटने के बाद उनको सूटेबिल टेक्नीकल पोस्ट्स पर रख लिया गया है अथवा नहीं ?

श्री बी० आर० भगत : माननीय सदस्य को यह मालूम होगा कि जिस समय ये लोग ट्रेनिंग के लिये बाहर भेजे जाते हैं तो इस बात की विवेचना कर ली जाती है कि कौनसे विषय के लिए उनको भेजा जाय ताकि जब वे लौट कर आयें तो वह डेवेलपमेंट प्रोग्राम में फिट हो सकें।

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : ऐसे आदमी चुने जाते हैं जो वहां पर लग सकें।

श्री वी० पी० नायर : बुनियादी उद्योगों में अध्ययन के लिये ऐसे कितने विद्यार्थी अमरीका भेजे गये हैं ?

श्री बी० आर० भगत : मेरे पास उद्योग-वार अलग अलग आंकड़े नहीं हैं।

श्री एन० एम० लिंगम : टेक्नीशियनों को किन मुख्य विषयों में प्रशिक्षण के लिये भेजा गया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि ऐसे बहुत से विषय होंगे।

श्री बी० आर० भगत : ये विषय विकास कार्यक्रमों से सम्बन्ध रखते हैं।

माहे भेजे जाने वाले भेंट के पार्सल

*७६२. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने डाक द्वारा फ्रांसीसी बस्ती माहे भेजे जाने वाले सब भेंट के पार्सलों पर बहि शुल्क लगा दिया है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : ऐसे सब पार्सलों पर जो किसी भारतीय डाकघर की मार्फत माहे भेजे जाने हों, भारतीय बहि शुल्क पुनः लगाया जा रहा है, चाहे वे विदेश से आये हों या किसी अन्य फ्रांसीसी बस्ती से।

डा० राम सुभग सिंह : माहे भेजे जाने वाले भेंट के पार्सलों पर यह शुल्क कब से लगने लगा है और इस का क्या परिणाम हुआ है ?

श्री ए० सी० गुहा : ९ सितम्बर, १९५३ से। इसका परिणाम यह हुआ है कि पहले

जो चोरीछिपे चीजें भेजी जा रहीं थीं उसकी रोकथाम हो गई है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार भारत में सब विदेशी बस्तियों के सम्बन्ध में यह शुल्क लगाने का विचार कर रही है ?

श्री ए० सी० गुहा : यह कदम केवल माहे और येनम के सम्बन्ध में उठाया गया है, अन्य विदेशी बस्तियों के सम्बन्ध में नहीं ।

श्री मुनिस्वामी : क्या विदेशों से भारत आने वाले भेंट के पार्सलों पर शुल्क में कोई रियायत या छूट भी जाती है ?

श्री ए० सी० गुहा : प्रश्न शुल्क का नहीं है । ये पार्सल डाकघर में खोले जाते हैं और यदि किसी चोरीछिपे भेजी गई चीज का पता चलता है तो वह सरकार द्वारा जब्त कर ली जाती है ।

काश्मीर में डाक तथा तारघर

*७६३. **सेठ गोविन्द दास :**
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :

क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या काश्मीर की डाक, तार तथा यातायात सेवाओं का प्रशासन सरकार द्वारा ले लिया गया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो इस नई व्यवस्था से सरकार को कितना लाभ अथवा हानि होगी ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जम्मू तथा काश्मीर की डाक सेवाओं का प्रशासन तो हमारे डाक तथा तार विभाग के हाथ में १८९४ से है । तार तथा टेलीफोन सेवाएं १६ सितम्बर, १९५३ को ले ली गई। जहां तक यातायात सेवाओं का सम्बन्ध है, जम्मू तथा काश्मीर में कोई रेलवे नहीं हैं। दिल्ली और श्रीनगर के बीच हवाई सर्विस, जो भारत सरकार द्वारा दिये गये एक लाइसेंस के अन्तर्गत एक गैर सरकारी कम्पनी द्वारा संचालित की जा रही थी, अब, १ अगस्त, १९५३ से, संसद् द्वारा पारित एक अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित एक संविहित निगम द्वारा संभाल ली गई है ।

(ख) यह प्रश्न केवल तार तथा टेलीफोन सेवाओं के लिये जाने के सम्बन्ध में उठता है । अनुमान है कि इस समय नुकसान कोई ३ लाख रुपये प्रति वर्ष होगा । परन्तु इस नुकसान के भविष्य में पूरे हो जाने की सम्भावना है ।

सेठ गोविन्द दास : जहां तक तारों और टेलीफोनों का मामला है, अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि निकट भविष्य में इस नुकसान के पूरे हो जाने की सम्भावना है । क्या इसका कुछ अन्दाजा किया गया है कि कितने दिनों में यह नुकसान पूरा हो जायेगा ?

डा० काटजू : आशा है कि भविष्य में पूरा हो जायगा । भविष्य कितना लम्बा होगा मेरे लिये कहना जरा मुश्किल है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या वहां पर इस वर्ष और आगे के वर्षों में पोस्ट आफिस, टैलिग्राफ आफिस और टेलीफोन का जो काम है उस को बढ़ाने की कोई योजना है कि हर वर्ष इतने पोस्ट आफिस बनाये जायेंगे ?

डा० काटजू : जी, मुमकिन है कि पोस्ट आफिस भी बढ़ाये जायेंगे और ट्रंक टेलीफोन के बढ़ाये जाने की सम्भावना है । एक्सचेंजेज़ भी बढ़ाये जायेंगे । कोशिश की जायगी कि जितनी सुविधाएं हो सकती हैं वह वहां की जनता को दी जायें ।

विशेष पुलिस स्थापना

*७६४. **श्री वी० पी० नायर :**
श्री वल्लाथरास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री सदन-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें (१) वर्ष १९५०-५१, १९५१-५२ तथा १९५२-५३

में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विशेष पुलिस स्थापना को सौंपे गये भ्रष्टाचार तथा दुराचार के मामलों की संख्या, (२) इस प्रकार सौंपे गये ऐसे मामलों की संख्या जिनमें विशेष पुलिस स्थापना ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट दे दी है और ऐसे मामलों की संख्या जिनमें उक्त जांच से यह पता चला कि आरोप सच्चे थे, और (३) उक्त रिपोर्ट के आधार पर चलाये गये अभियोगों की संख्या दिखाई गई हो ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : मैं सदन पटल पर एक विवरण रखता हूं जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १७]**

श्री वी० पी० नायर : गृह-कार्य मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय द्वारा ऐसे कितने मामले विशेष पुलिस स्थापना को सौंपे गये ?

श्री दातार : इसका ब्यौरा मेरे पास यहां नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : जिन मामलों का ब्यौरा इस विवरण में दिया गया है उन में से कितने मामले पदाधिकारियों द्वारा भ्रष्ट तरीकों से धन इकट्ठा किये जाने के सम्बन्ध में थे ?

श्री दातार : इन विस्तृत बातों के लिये तो मुझे सूचना चाहिये ।

श्री वी० पी० नायर : क्या दिल्ली के पुलिस के महा-निरीक्षक (इंस्पैक्टर जनरल) के आचरण के बारे में भी कोई मामला गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा विशेष पुलिस स्थापना को भेजा गया है ?

श्री दातार : नहीं, श्रीमान् ।

श्री अजित सिंह : जनता द्वारा कितने मामलों की सूचना दी गई ?

श्री दातार : कभी कभी हमें निजी सूत्रों से भी सूचना मिलती है और विशेष पुलिस स्थापना उसकी जांच करती है, परन्तु मुझे ऐसे मामलों की संख्या पता नहीं है जिनमें सूचना निजी सूत्रों से प्राप्त हुई ।

श्री अजित सिंह : कितने मामले ऐसे थे जो सच्चे साबित हुए और जिन पर कार्यवाही की गई ?

श्री दातार : कार्यवाही या तो अभियोग के रूप में या विभागीय कार्यवाही के रूप में की जाती है । वर्ष १९५०-५१, १९५१-५२ और १९५२-५३ में क्रमशः २३, २२ और १३ मामलों के सम्बन्ध में अभियोग चलाये गये और क्रमशः २२, ५ और ४ मामले विभागीय जांच के लिये सौंपे गये ।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सच है कि विशेष पुलिस स्थापना से १९५०-५१ में प्रसिद्ध शबरीमलय मन्दिर में हुए अग्निकांड की जांच करने के लिये कहा गया था और क्या उसने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है ?

श्री दातार : इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

युवक संघटनों का पर्यवलोकन

***७६५. श्री एस० एन० दास :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने भारत के यवक संघटनों के पर्यवलोकन का जो काम हाथ में लिया था, क्या वह पूरा हुआ है ;

(ख) यदि हुआ है, तो इसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) युवक कल्याण के सम्बन्ध में शिमला में जो गोष्ठी हुई थी, क्या उसकी सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है ;

(घ) क्या इस काम के लिये कोई योजना तैयार तथा मंजूर की गई है ; तथा

(ङ) इस स्कीम के अन्तर्गत सरकार को कितना खर्चा उठाना पड़गा ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) तथा (घ) जी हां।

(ङ) पंचवर्षीय योजना में एक करोड़ रुपया।

श्री एस० एन० दास : राज्य सरकारों को छोड़ कर किन किन और अभिकरणों का यह पर्यवलोकन करने के लिये कहा गया था ?

श्री के० डी० मालवीय : देश के गैर-सरकारी समाज-कल्याण संघटनों का भी पर्यवलोकन किया जा रहा है।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, इस वर्ष के बजट में इस उद्देश्य से जो धनराशि रखी गई है उसे कैसे उपयोग में लाया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : सरकार इस योजना को कार्य रूप देने की बात पर अभी विचार ही कर रही है, परन्तु इसके एक भाग को कार्य रूप दिया गया है तथा कई युवक शिविरों का संगठन किया गया है। कुछ और शिविरों का संगठन किया जायगा, परन्तु समस्त योजना विचाराधीन है।

श्री एस० सी० सामन्त उठे——

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि·····

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति। मैं श्री सामन्त से कह रहा हूं।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या यह बात सच नहीं कि सैमिनार के बाद गवर्नमेंट ने छः हजार रुपया बिलासपुर में किसी को दे दिया है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : नहीं। इस तरह का कोई वाक्या नहीं है।

श्री एस० एन० दास : क्या युवक आन्दोलन से कोई विश्वविद्यालय भी सम्बद्ध है तथा यदि है, तो कौन कौन से ?

श्री के० डी० मालवीय : सरकार ने एक अधिकारी नियुक्त किया है। वह इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किये हुये है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या सभी कालिज यूनियनों से इस सम्बन्ध में अपनी प्रस्थापनाएं पेश करने के लिए कहा गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे इसकी जानकारी नहीं है। परन्तु जैसे कि मैं निवेदन कर चुका हूं, विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क स्थापित किया जा चुका है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : उठी ——

अध्यक्ष महोदय : मैं अब अगला प्रश्न लेता हूं।

पेप्सू में भूतपूर्व सैनिक

*७६७. **श्री टी० बी० विट्ठल राव:** (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पेप्सू सरकार भारत सरकार से इस बात पर सहमत है कि भूतपूर्व सैनिकों को पेप्सु की असैनिक सेवा में भर्ती कर लिया जाये ?

(ख) यदि हां, तो अगस्त १९४७ से अब तक पेप्सु असैनिक सेवा में कितने भूतपूर्व सैनिक भर्ती कर लिये गये हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां।

(ख) १३१२ भूतपूर्व सैनिक सरकारी नौकरी में लिये गए हैं।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या यह सच है कि भर्ती किये गए भूत-पूर्व सैनिकों को नौकरी से निकाला जा रहा है ?

सरदार मजीठिया : यह सच है—२४ व्यक्ति निकाले गए हैं । परन्तु इन्हें पुनः भर्ती किया जायगा । क्योंकि आदेश दिए गए हैं कि जब तक इन लोगों को भर्ती न किया जायगा तब तक कोई नया व्यक्ति नौकरी में नहीं लिया जायगा ।

श्री अजित सिंह : इन में से अनुसूचित जातियों से सम्बन्ध रखने वाले लोग कितने हैं ?

सरदार मजीठिया : मुझे खेद है कि मेरे पास इस सम्बन्ध में अलग अलग आंकड़े नहीं हैं ।

सिविलियन असिस्टेंट फायर-मास्टर

*७६८. **श्री टी० बी० विट्ठल राव:** (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रक्षा मंत्रालय ने सेना के आर्डनेन्स तथा टेकनिकल विभाग में सिविलियन असिस्टेंट फायर मास्टर के पद के लिये क्या अर्हताएं निश्चित की हैं ?

(ख) वर्तमान सिविलियन असिस्टेंट फायर मास्टरों में से कितनी को अपेक्षित अर्हताएं प्राप्त हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जाता है । **(देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १८]**

(ख) २५ सिविलियन असिस्टेंट फायर मास्टरों में से इस समय छः व्यक्तियों को अपेक्षित शिक्षा सम्बन्धी अर्हताएं प्राप्त हैं तथा बारह को अपेक्षित टेक्नीकल अर्हताएं प्राप्त हैं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उन लोगों की जिन्हें कि अपेक्षित अर्हताए प्राप्त हैं , पदावनति की गई ?

श्री सतीश चन्द्र : नहीं, श्रीमान् । यदि लोगों को अपेक्षित अर्हताएं प्राप्त होंगी तो उनकी पदावनति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । इसके उलट कुछ व्यक्तियों को जोकि १ जनवरी, १९४९ तक तीन वर्ष से अधिक समय के लिये काम कर चुके थे नौकरी पर यथावत रखा गया है यद्यपि उन्हें अपेक्षित अर्हताएं प्राप्त नहीं थीं ।

पैन्शन की जब्ती

*७६९. **श्री टी० बी० विट्ठलराव:** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि उन सेवा-निवृत सैनिकों अथवा सैनिक अधिकारियों की पेन्शन ज़ब्त कर ली गई है जिन्हों ने कि अगस्त, १९४७ से पूर्व राष्ट्र अन्दोलन में भाग लिया था ?

(ख) यदि की गई है तो कितने व्यक्तियों की ज़ब्त की गई है ?

(ग) क्या सरकार ने इनमें से कुछेक मामलों के सम्बन्ध में पेन्शन बहाल की है ?

(घ) कितनों की पेन्शन अभी बहाल की जानी बाकी है ?

(ङ) सरकार द्वारा इसको बहाल न करने के क्या कारण हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) १९४७ से पूर्व ऐसे अनेक सैनिक पेन्शनरों की पेन्शन सूक्षम प्राधिकार द्वारा जब्त की गई थी जिन्हें कि राजनीतिक अपराधों का अपराधी पाया गया था । फिर भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्थिति पर विचार किया गया तथा अप्रैल १९४८ में ऐसी पेन्शनों की बकाया सहित बहाली के आदेश जारी किये गये । इन आदेशों की एक प्रति सदन पटल पर रख दी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १९]**

(ख) ठीक ठीक सूचना उपलब्ध नहीं

(ग) हां, श्रीमान् । २५ मामलों में ।

(घ) एक ।

(ङ) मामले की जांच हो रही है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : गत चार वर्षों से कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं ?

सरदार मजीठिया : केवल एक मामला अनिर्णीत पड़ा है ।

श्री मुनिस्वामी : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सशस्त्र बलों के लिये कोई नये पेन्शन नियम प्रस्तुत किये जाने की प्रस्थापना है तथा यदि है तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सरदार मजीठिया : यह एक अलग प्रश्न है । मूल प्रश्न तो पेन्शनों की जब्ती से सम्बन्ध रखता है । यदि वेतन नियमों के सम्बन्ध में एक अलग प्रश्न की सूचना दी जाये तो मैं अवश्य ही इसका उत्तर दे दूंगा ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव: जिन व्यक्तियों ने ब्रिटिश पूंजी अथवा जमीदारों के विरुद्ध किसान तथा मज़दूर अन्दोलन में भाग लिया था, क्या उनकी पेन्शन बहाल नहीं की गई ?

सरदार मजीठिया : पूर्ण अनुदेश जारी किये गये हैं तथा मैंने आवश्यक आदेशों को सदन-पटल पर रख दिया है । यदि माननीय सदस्य उन्हें पढ़ने का कष्ट करेंगे तो वह यह सभी बातें जान पायेंगें ।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उन पेन्शनरों के आश्रितों को भी यह लाभ प्राप्त होगा जिनका कि १९४८ से पूर्व देहान्त हुआ है ?

सरदार मजीठिया : जी नहीं, उन लोगों पर उल्लिखित आदेश लागू नहीं होता है ।

कुलू में चांदी की खान

*७७०. **श्री एस० सी० सामन्त :** (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पंजाब की कुलू घाटी में हाल हीं में एक चांदी की परित्यक्त खान पाई गई है ?

(ख) यदि पाई गई है तो इसका पूर्व इतिहास क्या है ?

(ग) इस खान का किसने पता लगाया था ?

(घ) क्या वहां कुछ और भी कच्ची धातुयें उपलब्ध होने के प्रमाण हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग) तक । प्रसिद्ध यूचिच चांदी खानों का, जो कि चिरकाल से परित्यक्त हैं, वर्णन १८६५ में भारतीय भूपरिमाप विभाग के एक अधिकारी ने किया था । भारतीय भू परिमाप संस्था ने १९४८-४९ में इन खानों का पुनरीक्षण किया । ऐसा प्रतीत होता है कि इन खानों में गत ७० अथवा ८० वर्ष से कोई काम नहीं हो रहा है ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उस चांदी की खान की जांच की गई है जिसकी कि श्री कलवर्ट ने खोज की थी ?

श्री के० डी० मालवीय : सविस्तार पर्यवलोकन करना वांछनीय समझा गया है जिस से कि इन खानों की आर्थिक सम्भावनाओं का पता लगाया जा सके । सविस्तार पर्यवलोकन का काम अभी पूरा नहीं हुआ है । जब कि इस बात का पता न लगाया जा सके कि यह कच्ची धातुयें किन किन खनिज

पदार्थों से सम्बन्ध रखती हैं तब तक वहां काम शुरू करना उचित नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि इन खानों की खोज के सम्बन्ध में गत चार वर्षों में कितने अन्वेषक वहां भेजे गये ?

श्री के० डी० मालवीय : कितने अधिकारी भेजे गये, इस सम्बन्ध में मैं ठीक ठीक सूचना नहीं दे सकता हूं । परन्तु १९४९ में भारतीय भूतत्व परिमाप संस्था के अधिकारियों ने इन खानों का निरीक्षण किया था तथा उपयुक्त ऋतु में वहां काम किया ।

विदेशी टेकनिकल सहायता

*७७१. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५० से, वर्ष प्रति वर्ष, विदेशी सरकारों, फर्मों, संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों से टेकनीकल सहायता प्रशिक्षण सुविधाओं इत्यादि सम्बन्धी कितने एतदर्थ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या सब प्रस्तावों का उपयोग किया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसका कारण, तथा

(घ) इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये चुनाव पर्षद् के व्यक्तियों के नाम?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि इन प्रस्तावों पर निर्णय कौन करता है ?

श्री बी० आर० भगत : प्रशिक्षण सुविधाओं तथा टेकनिकल सहायता के ये प्रस्ताव विषय के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्राप्त किये जाते

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह तथ्य नहीं है कि सभी विषयों पर शिक्षा मंत्रालय विचार करता है ?

श्री बी० आर० भगत : जी नहीं ।

भूत पूर्व शासकों को करों में छूट

*७७२. **श्री दाभी** : क्या **राज्य** मंत्री २२ अगस्त, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७१८ का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बम्बई राज्य के भूतपूर्व-शासकों की राज्य सम्पत्ति से भिन्न वैयक्तिक अथवा दरबारी इमारतें स्थानीय करों से मुक्त हैं ; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या यह छूट, भूतपूर्व शासकों के साथ किये गये समझौतों का एक भाग है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) और (ख) . भूतपूर्व शासकों के साथ किये गये समझौते के अनुसार उन्हें सामान्यत: उन सब अधिकारों तथा विशेषाधिकारों को जारी रखने का अधिकार है जो उन्हे १५ अगस्त, १९४७ से पूर्व प्राप्त थे । जहां तक स्थानीय कर का प्रश्न है, यह बात राज्य सरकारों पर छोड़ दी गई है । यह इन शासकों की वैयक्तिक समझी जाने वाली समस्त सम्पत्ति पर लागू होता है ।

श्री दाभी : मैं जान सकता हूं कि क्या बम्बई राज्य में गुजरात के भूतपूर्व शासकों को इन स्थानीय करों से मुक्त कर दिया गया है ?

डा० काटजू : यह छूट सामान्यत: समस्त भूतपूर्व शासकों पर लागू होती है । किसी विशेष शासक के पक्ष में विशिष्ट रूप से कोई अपवाद नहीं किया गया है ।

श्री दाभी : मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य नहीं है कि समझौते में केवल यह

कहा गया है कि भूतपूर्व शासक, समझौते के दिन से अपनी सम्पत्ति के पूर्ण स्वामित्व, प्रयोग तथा उपभोग के अधिकारी होंगे तथा उसमें इस बात का कोई उपबन्ध नहीं है कि .....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य समझौते की व्याख्या के विषय में तर्क कर रहे हैं ।

श्री दाभी : मैं जानना चाहता था कि समझौते में यह उपबन्ध है अथवा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री केलप्पन : स्थानीय करों के मुक्ति के अतिरिक्त, क्या भूतपूर्व शासकों को अपनी इमारतों की देखरेख के लिये कोई अनुदान दिया जाता है ?

डा० काटजू : माननीय सदस्य का आशय शासकों के किस वर्ग विशेष से है ?

श्री केलप्पन : राज्य प्रमुख अथवा भूतपूर्व शासक ।

डा० काटजू : जहां तक बम्बई राज्य का सम्बन्ध है मुझे किसी ऐसे अनुदान के विषय में ज्ञात नहीं है, किन्तु मैं पूर्व सूचना चाहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न बम्बई राज्य के विषय में ही था । अगला प्रश्न ।

श्री दाभी : एक प्रश्न, श्रीमान् ।

अध्यक्ष महोदय : मैं तर्क नहीं करना चाहता हूं ।

श्री दाभी : मैं तर्क नहीं करना चाहता श्रीमान् परन्तु मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना अगला प्रश्न पूछें ।

भूतपूर्व शासकों के विशेषाधिकार

*७७३. **श्री दाभी** : क्या **राज्य मंत्री** १८ अगस्त, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५९८ का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बम्बई राज्य के भूतपूर्व शासक व्यवहार व दाण्डिक प्रक्रियाओं से मुक्त हैं ; तथा

(ख) क्या इन भूतपूर्व शासकों को कोई अन्य विशेष अधिकार प्राप्त है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी नहीं । किन्तु किसी भूतपूर्व शासक के विरुद्ध मामला चलाने से पूर्व केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेना जरूरी है ; इसी प्रकार किसी भूतपूर्व शासक के विरुद्ध कोई दिवानी मामला दायर करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार की पूर्व सम्मति आवश्यक है ।

(ख) मैं माननीय सदस्य का ध्यान १८ अगस्त, १९५३ के तारांकित प्रश्न संख्या ५९८ के सम्बन्ध में भी दिय गये उत्तर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । बम्बई राज्य में संविलित रियासतों के शासकों को कोई ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है जो अन्य शासकों को प्राप्त न हो ।

श्री दाभी : क्या मैं उनके द्वारा उपभोग किये जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण विशेषाधिकारों को जान सकता हूं ?

डा० काडजू : माननीय सदस्य कृपया उस ज्ञापन को देखें जिसमें इन विशेषाधिकारों का व्योरा दिया हुआ है ।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि क्या किसी भूतपूर्व शासक के विरुद्ध कोई मामला चलाये जाने के सम्बन्ध में उसको क्या विशेषाधिकार प्राप्त हैं ? क्या यह समझौते का एक भाग है । अथवा स्थिति वही है जो अंग्रेजों के राज्य काल में थी ?

डा० काटजू : मैं समझता हूं कि यह कुछ समय पूर्व संशोधित किये गये दीवानी व्यवहारिक प्रक्रिया संहिता का भाग है ।

पेप्सू में छंटनी

*७७५. **श्री अजित सिंह** : क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पेप्सू में राष्ट्रपति का शासन स्थापित होने से अब तक किस किस वर्ग के कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई है ;

(ख) क्या यह तथ्य है जिन सरकारी कर्मचारियों की १ सितम्बर, १९५३ को छंटनी की गई थी उन्हें समुचित नोटिस नहीं दिया गया था ; तथा

(ग) यदि हां, तो इसके कारण ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) :

घोषित पदाधिकारी	१६
अघोषित पदाधिकारी (कार्यपाली)	८८
अघोषित पदाधिकारी (सचवीय)	४३७
श्रेणी ४ के कर्मचारी	२६०
योग	८०१

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री अजित सिंह : मैं जान सकता हूं कि पड़ोसी राज्यों से कितने पदाधिकारी बुलाये गये हैं ?

डा० काटजु : मुझे पूर्व-सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री अजित सिंह : क्या बाहर से बुलाये गये इन पदाधिकारियों में से कुछ व्यक्ति निर्धारित आयु से अधिक के हैं ?

डा० काटजू : यह सब मैं बताने में असमर्थ हूं । प्रश्न उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में था जिन्हें नौकरी से हटा दिया गया है । मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न कैसे उठता है ।

श्री अजित सिंह : कितने सरकारी कर्मचारियों को पुनः नियुक्त किया गया है और उनमें से कितने अनुसूचित जातियों के हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है : छंटनी किये गये कितने कर्मचारियों को पुनः नयुक्त किया गया है ?

डा० काटजू : २५७ कर्मचारी पुनः नियुक्त कर दिये गये हैं । विकास आदि जैसे बढ़ते हुये विभागों में समस्त कार्य योग्य व्यक्तियों को पुनः नियुक्त कर लेना सम्भव होगा, ऐसा सरकार को विश्वास है ।

श्री अजित सिंह : इस छंटनी के परिणाम स्वरूप कितनी मितव्ययता होगी ?

डा० काटजू : १,२०,००० रुपये प्रति मास बचत होने की आशा है । मैं यह भी बता दूं कि पेप्सू में राष्ट्रपति का शासन प्रारम्भ होने से पूर्व पैप्सू सरकार के विभागों में भारत के अन्य समस्त राज्यों की तुलना में अधिक कर्मचारी भरे हुये थे ।

निर्यात शुल्क

*७७६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** (क) क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हैदराबाद सरकार ने केन्द्रीय सरकार से शुल्क-काल की अवधि बढ़ा देने की प्रार्थना की है ?

(ख) यदि हां तो कितनी अवधि बढाने की प्रार्थना की गई है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां, ।

(ग) चालू वर्ष के समाप्त होने से छः वर्ष ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : मैं ज्ञात कर सकता हूं हैदराबाद सरकार को प्रतिवर्ष इस शुल्क में से कुल कितना राजस्व प्राप्त होता है ?

डा० काटजू : यह प्रश्न वास्तव में वित्त मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये । मैं समझता हूं कि 'निर्यात शुल्क' के अन्तर्गत यह राशि १८१ लाख रुपये है ।

परिसीमन आयोग

*७७७. **श्री माधव रेड्डी**: (क) क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परिसीमन आयोग अपना काम पूरा करने में कितना समय लेगा ?

(ख) परिसीमन आयोग के काम की क्या प्रगति है ?

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : (क) परिसीमन आयोग अपना काम पूरा करने में शायद ७–८ महीने और लगायेगा ।

(ख) इसने लोक-सभा तथा राज्य विधान सभा में प्रत्येक राज्य की सीट संख्या निश्चित करने और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये संरक्षित स्थानों की संख्या निश्चित करने के काम की पहली अवस्था पार करली है । इसने पैप्सू और त्रावनकोर कोचीन में भी मतदान क्षेत्रों का परिसीमन पूरा कर दिया है । पैप्सू, कुर्ग, पंजाब मध्यभारत, भूपाल, और हिमाचल प्रदेश के मतदान क्षेत्रों का परिसीमन करने के सम्बन्ध में इसके प्रस्ताव प्रकाशित हो गये हैं और उनके इस मास में अंतिम रूप प्राप्त कर लेने की संम्भावना है ।

श्री माधव रेड्डी: श्री मान्, में जान सकता हूं कि क्या सरकार आयोग द्वारा प्राप्त हुये अभ्यावेदन तथा अन्य अभिलेख सदन पटल पर रखेगी ?

श्री बिस्वास : आयोग को भेजे गये ? क्या माननीय सदस्य उन आपत्तियों का निर्देश कर रहे हैं , जो परिसीमन आयोग के प्रस्तावों के विषय में की गई थीं ?

अध्यक्ष महोदय : उनका मतलब यही है ।

श्री बिस्वास : आपत्तियां परिसीमन आयोग के पास हैं और यदि माननीय सदस्य कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहें, तो मैं वहां से मंगा दूंगा ।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि राज्यों में मतदान क्षेत्र निश्चत करने में अग्रस्थान निश्चित करने के लिये अपनाया गया सिद्धांत क्या है ?

श्री बिस्वास : वस्तुत: पैप्सू तथा ट्रावणकोर कोचीन राज्यों को वहां संभावी साधारण चुनाव की दृष्टि में अग्रस्थान दिया गया था ।

सौर-शक्ति से परिचालित चूल्हे

*७७८. **श्री माधव रेड्डी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री १३ अगस्त, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४५८ के उत्तर का निर्देश करेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या धूप के चूल्हे अब भारत में जन साधारण के लिये उपलब्ध कर दिये गये हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : हां, श्रीमान् ।

कोलम्बो योजना (टैकनीकल सहयोग सहायता)

*७७९. **श्री अजित सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री उस सहायता की राशि बताने की कृपा करेंगे जो भारत को कोलम्बो योजना की टैकनीकल सहयोग योजना के अधीन ३० जून, १९५३ तक प्राप्त हुई है ?

(ख) क्या भारत को व्यापार और टैकनीकल स्कूलों, पोलीटेकनिकों, अस्पतालों आदि जैसी प्रशिक्षण संस्थाओं के लिये कुछ सामग्री प्राप्त हुई है ?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) ३५२ भारतीय छात्रों को विदेश में प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधायें, ३५ विदेशी विशेषज्ञों की सेवायें ; तथा ३१,०७४ पौंड मूल्य की सामग्री ।

(ख) हां, श्रीमान्, ऊपर निर्दिष्ट सामग्री का एक अंश अस्पतालों में उपयोग के लिये प्राप्त हुआ है ।

श्री अजित सिंह : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि मंत्रालय-वार उनकी संख्या और पद क्या हैं ?

श्री बी० आर० भगत : मंत्रालय-वार आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

इंडियन स्टैंडर्ड वैगन कम्पनी लिमिटेड

*७८०. **डा० एम० एम० दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूंजी निर्गम नियंत्रक को इंडियन स्टैंडर्ड वैगन कंपनी लिमिटेड (प्रबन्धक एजेंट मार्टिन बर्नस लिमिटेड) से एक आवेदन मिला है, जिसमें ९,७४,६२५ रुपयों के संरक्षित अंश को पूंजी में परिवर्तित करने के लिये तथा सामान्य अंशभाजकों को प्रत्येक विद्यमान अंश के आगे २५ रुपये का लाभांश देने के लिये आज्ञा मांगी गई है; तथा

(ख) यदि मिला है, तो इस विषय में सरकार का क्या निर्णय है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) आवेदन में मांगी गई आज्ञा दे दी गई थी ।

डा० एम० एम० दास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि संरक्षित निधि को पूंजी में परिवर्तित करने की आज्ञा देने से पूर्व सरकार ने किन किन बातों के विषय में अपने आप को संतुष्ट किया था ?

श्री एम० सी० शाह : हमारी नीति इन नियमों के लिये अर्थात् सभी निर्मुक्त संरक्षित निधियों को पूंजी में परिवर्तित करने के लिये स्वीकृति प्रदान करने की है ; केवल वह स्थिति अपवादभूत है जब पूंजी में परिवर्तन के बाद संरक्षित निधि में अवशिष्ट प्रतिशतक (क) संवर्द्धित भुगताई गई पूंजी के २० प्रति शत से कम रह जाता है, या

(ख) किसी ऐसे पूंजी परिवर्तन के लिये अस्वीकृति को उचित ठहराने वाले कुछ कारण होते हैं ।

डा० एम० एम० दास : वे विशेष कारण क्या हैं ?

श्री एम० सी० शाह : सामान्यतः यदि कंपनी ने कई वर्षों से लाभांश नहीं दिये हैं या कंपनी की हालत ठीक नहीं है और स्वीकृति को उचित नहीं ठहराती ।

डा० एम० एम० दास : क्या यह सच है कि मार्च, १९५३ में समाप्त होने वाले वर्ष में इस कंपनी ने १९ प्रतिशत का लाभांश दिया था ?

श्री एम० सी० शाह : मुझे उसका पता नहीं है, क्योंकि ये आंकड़े मेरे पास नहीं हैं । पर हमें पता है कि साधारण संरक्षित निधि--जो अवक्षयण आदि जैसे विशिष्ट प्रयोजनों के लिये रखी गई संरक्षित निधि से पृथक है --२०·५ लाख रुपये थी और आज्ञा ९·७५ लाख रुपये के लिये दी गई थी । अतः अवशिष्ट प्रतिशतक २७ प्रतिशत से अधिक है ।

डा० एम० एम० दास उठे--

अध्यक्ष महोदय : हम अगला प्रश्न लेंगे ।

एलीफेंटा द्वीप

*७८१. **डा० एम० एम० दास :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई नगर के निकटवर्ती एलीफेंटा द्वीप में इमारतें बनाने के लिये पत्थरों के टुकड़ों को काटने के प्रयोजन से पत्थर खानें स्थापित की गई हैं या स्थापित होने वालीं हैं ;

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या चट्टानों को तोड़ने के लिये विस्फोटकों को काम में लाया जायेगा ; तथा

(ग) यदि ऐसा है, तो क्या चट्टान तोड़ने के लिये विस्फोटकों का यह उपयोग उस द्वीप में स्थित प्राचीन गुहा मंदिरों को हानि न पहुंचायेगा ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) हां ।

(ख) हां ।

(ग) नहीं ।

डा० एम० एम० दास : क्या मैं पत्थर खानें स्थापित करने के लिये ठेका करने वाले पक्षों अर्थात् ठेका देने वाले और ठेका लेने वाले पक्षों के नाम जान सकता हूं ?

श्री के० डी० मालवीय : न्यू मेरीन आयल टर्मिनल प्रोजेक्ट की ओर से श्री मंगल दास नरसी यह काम कर रहे हैं । यह ठेका अनुमानतः राज्य सरकार द्वारा दिया गया है ।

डा० एम० एम० दास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय पुरातत्व विभाग को आश्वासन दे दिया है कि.....

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : हां, हां ।

श्री के० डी० मालवीय : चट्टानों के उड़ाने से इन गुफाओं को कोई हानि न पहुंचे ; यह देखने के लिये हमारे तथा राज्य सरकार पदाधिकारियों के सामने सभी आदर्श परीक्षण किये गये थे और हमें पूरा संतोष है कि किसी भी गुफा को कुछ भी हानि न पहुंचेगी ।

डा० एम० एम० दास : इस तथ्य की दृष्टि में कि पुरातत्वविशारदों के विचार से इस क्षेत्र में न खोदे गये गुहा मंदिरों के विद्यमान होने की संभावना है, मैं जान सकता हूं कि क्या इन चट्टानों के उड़ाये जाने को रोक देना वांछनीय नहीं है ?

श्री के० डी० मालवीय : ऐसा कोई भय नहीं है कि वहां पर कोई ऐसी न खोदी गई गुफा है, जिसे इन चट्टानों के उड़ाये जाने से हानि पहुंचेगी ।

एलीफेंटा गुहा मंदिर

*७८२. **डा० एम० एम० दास :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एलीफेंटा द्वीप में कुछ ऐसे गुहामंदिरों के विद्यमान होने की संभावना है, जिनको अब तक नहीं खोदा गया है ; तथा

(ख) सरकार द्वारा इस द्वीप में स्थित गुहामंदिरों के संधारण में किया जाने वाला वार्षिक व्यय ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) प्रभावित क्षेत्र में अब तक न खोजी गई कुछ भी गुफायें नहीं हैं ।

(ख) लगभग ५,००० रुपये ।

डा० एम० एम० दास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि टिकट बेच कर प्रतिवर्ष हमको कितनी राशि प्राप्त होती है ।

श्री के० डी० मालवीय : मुझे पता नहीं । इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

विदेशी फर्म

*७८३. **श्री बुच्चिकोटैय्या :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी व्यापारी फर्म तथा कम्पनियां १९५३ में अब तक अपने लाभ का कितना भाग भारत से बाहर ले गई हैं ; तथा

(ख) १९५२ में तत्संवादी अवधि के आंकड़ों की तुलना में इन आंकड़ों में वृद्धि हुई है या कमी हुई है ?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) जनवरी से अगस्त १९५३ तक की अवधि में, जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं, भारत में व्यापार करने वाले विदेशी फर्मों तथा कम्पनियों ने अपने लाभ का ११·८८ करोड़ रुपया विदेश भेजा ।

(ख) १९५२ की तत्संवादी अवधि के आंकड़ों की तुलना में इसमें ३·७८ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है ।

श्री बुच्चिकोटैय्या : इनमें से किस देश को १९५३ में लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा मिला ?

श्री बी० आर० भगत : इंग्लैण्ड ।

श्री जे० पी० सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि क्या इन विदेशी कम्पनियों ने और अधिक पूंजी लगाई है ?

श्री बी० आर० भगत : यह एक भिन्न प्रश्न है ।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि जो आंकड़े बताये गये हैं क्या वे विदेशी जहाजी कम्पनियों के लाभ के आंकड़े हैं या भारत में रजिस्टर की गई व्यापारी कम्पनियों के ही हैं ?

श्री बी० आर० भगत : इनमें भारत में व्यापार करने वाले सभी विदेशी कम्पनियों के आंकड़े सम्मिलित हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप पृथक् पृथक् आंकड़े बता सकते हैं ?

श्री बी० आर० भगत : हमारे पास कम्पनी-वार आंकड़े नहीं हैं ।

श्री के० के० बसु : मेरा प्रश्न यह था कि क्या इनमें उन जहाजी कम्पनियों के, जिनकी शाखायें यहां हैं, लाभ के आंकड़े सम्मिलित हैं या. . . . . .

अध्यक्ष महोदय : इसी लिये मैंने पूछा था कि आपके पास पृथक् आंकड़े हैं या नहीं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये, आपके पास पूरा ब्यौरा होना चाहिये ।

डा० लंका सुन्दरम : मैं जान सकता हूं कि इस बात का ध्यान रखने के लिये कि प्रतिवर्ष के ये २५ करोड़ रुपये भारतीय उद्योग में लगाये जा सकें, सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री बी० आर० भगत : २५ करोड़ का तो कोई आंकड़ा ही नहीं है ।

डा० लंका सुन्दरम : सभा सचिव ने छै महीने के आंकड़े बतायें थे । मैंने उन्हें दुगना कर दिया है, अर्थात् २५ करोड़ प्रतिवर्ष ।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती कि इन विदेशी कम्पनियों को जो लाभ होता है वह भारतीय उद्योगों में लगाया जाय । यह बात अधिकतर उनकी इच्छा पर ही छोड़ दी जाती है । हम ऐसी हालत पैदा करने का प्रयत्न करते हैं कि जिससे वह धन यहीं लगाया जा सके । किन्तु विनिमय की दृष्टि से हमने इस बात का आश्वासन दिया है कि जो भी

अपने लाभ को जमा करना चाहता है वह ऐसा कर सकेगा और यह बात उन्हीं पर छोड़ दी जाती है तथा हम यह आशा कर सकते हैं कि लाभ का अधिक भाग यहीं लगा दिया जायगा, जैसा कि गत काल में हुआ भी है ।

राष्ट्रीय छात्र सेना (बालिका दल)

*७८४. **श्री विभूति मिश्र :** (क) **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या राष्ट्रीय छात्र सेना में भर्ती होने के लिये लड़कियों के लिये शिक्षा सम्बन्धी कोई योग्यता निर्धारित की गई है ?

(ख) राष्ट्रीय छात्र सेना में इस वर्ष कितनी लड़कियां भर्ती की गई हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) राष्ट्रीय छात्र सेना के बालिका दल (गर्ल्स डिवीजन) में कालेज की छात्रायें भर्ती हो सकती हैं ।

(ख) नई तय्यार की गई यूनिटों में १२० लड़कियां भर्ती की गई हैं तथा वर्तमान यूनिटों में सामान्य वार्षिक रिक्तियों को भरने के लिये ७५ भर्ती की गई हैं ।

श्री विभूति मिश्र : क्या स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों की भर्ती नहीं हो सकती ?

श्री सतीश चन्द्र : जी, अभी तो कालिज की लड़कियों के लिये ही शुरु की गई है ।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि प्रत्येक लड़की कैडेट पर कितना धन व्यय किया जाता है ?

श्री सतीश चन्द्र : मैं पृथक् पृथक् आंकड़े नहीं बता सकता । इसके जुनियर, सीनियर तथा गर्ल्स डिवीजन के पृथक लेखे नहीं रखे जाते । ये सब मिले जुले होते हैं और इस समय उपलब्ध नहीं हैं ।

सेना के लिये कपड़े

*७८५. **श्री विभूति मिश्र : रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के अभिप्राय से किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि रक्षा विभाग अखिल-भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड से अपने कर्मचारियों के लिये कपड़े और कम्बल आदि खरीदे ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : रक्षा सेवायें शुरू से ही कपड़े सम्बन्धी अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कुटीर उद्योगों में बने हुए कपड़े का कुछ मात्रा में प्रयोग करती रही हैं । गतकाल में कुटीर उद्योगों में बने कम्बलों, पुल-ओवर आदियों को चाहे उनका मूल्य निर्धारित मूल्य से अधिक हो और उनकी किस्म घटिया हो, खरीदने के प्रयत्न किये गये थे । उदाहरणार्थ, १९५२-५३ में कुटीर उद्योगों से ६५,००० कम्बल खरीदे गये थे । इन चीजों को अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड या किसी अन्य कुटीर उद्योग से और अधिक खरीदने की सम्भावना पर भी विचार किया जा रहा है ।

श्री विभूति मिश्र : डिफेंस सरविसेज में हाथ से बुनी और हाथ से कती खादी का कितना इस्तेमाल होता है ?

श्री सतीश चन्द्र : अभी तक तो नहीं होता है लेकिन अब यह इरादा है कि डस्टर, टावेल और हास्पिटल की लिनन के लिये खादी इस्तैमाल की जाय । मैंने जिक्र किया कि ६५ हजार कम्बल खरीदे गये । यह हाथ के बुने हुए तो थे ही लेकिन इनका ताना मिल का था और बाना खादी यानी हाथ का कता हुआ था ।

मनीपुर के आदिमजाति-क्षेत्रों के लिये विकास निधि

*७८६. **श्री रिशांग किशिंग : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में मनीपुर

के आदिम जाति-क्षेत्रों के विकास के लिये भारत सरकार ने विशेष विकास निधि के लिये कितनी राशि अलग रख दी है ;

(ख) विभिन्न मदों तथा विभिन्न योजनाओं के, जिन्हें मनीपुर सरकार ने प्रस्तुत किया है, अन्तर्गत बांटी गई निधि की राशि तनी है ;

(ग) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार ने स्थानीय सरकार को अपनी योजनायें कार्यान्वित करने के लिये मंजूरी नहीं दी है ;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो देरी के क्या कारण हैं ; तथा

(ङ) भारत सरकार का स्थानीय सरकार को बहुत सी महत्वपूर्ण योजनाओं को चलाने देने तथा इस निधि के व्ययगत न होने देने के अभिप्राय से क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ङ) तक । म एंक विवरण सदन पटल पर रखता हूं जिसमें मांगी गई सूचना दी हुई है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २०**]

श्री रिशांग किशिंग : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि यह राशि ९ लाख से घटा कर ४ लाख कर दी गई है ?

श्री दातार : जी नहीं, यह राशि कम नहीं की गई है ।

श्री रिशांग किशिंग : मैं जान सकता हूं कि इस राशि को देरी से मंजूर करने के क्या कारण हैं और क्या सरकार ने भविश्य में इस प्रकार की देरी को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की हैं ?

श्री दातार : इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं हुई थी । जब ये योजनायें हमें मिली थीं हमने तभी इन्हें सम्बद्ध मंत्रालयों तथा योजना आयोग को भेज दिया था । उन्हें अन्तिम रूप से तय कर लिया गया है और उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित तारीखों में उनके लिये मंजूरी दे दी गई हैं ।

श्री रिशांग किशिंग : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को देरी के सम्बन्ध में स्थानीय सरकार से कोई शिकायत मिली है ?

श्री दातार : हमें कोई शिकायत नहीं मिलीं ।

भाषा आयोग (त्रिपुरा)

*७८७. **श्री बीरेन दत्त :** क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिम जाति भाषाओं के विकास के लिये त्रिपुरा राज्य में एक भाषा आयोग स्थापित किया जायगा ; तथा

(ख) क्या इस प्रकार के आयोग के शीघ्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में आदिम जाति के नेता संकल्प पारित कर रहे हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी नहीं ।

(ख) सरकार को ऐसा कोई अभ्यावेदन नहीं मिला ।

श्री बीरेन दत्त : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को मालूम है कि कुछ गैर-सरकारी अध्यापक त्रिपुरा में पहिले से ही त्रिपुरी भाषा में पढ़ा रहे हैं ?

डा० काटजू : मुझे उसके बारे में मालूम नहीं । किन्तु, सदन की सूचनार्थ मैं यह बता दूं कि हमारी सूचना के अनुसार छोटे से त्रिपुरा राज्य में ४७ भाषायें या बोलियाँ, जिनमें बहुत सी आदिम जाति की बोलियां भी सम्मिलित हैं, बोली जाती हैं और हमें इस मामले की जांच करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री बीरेन दत्त : क्या सरकार इस बात से यह समझेगी कि आदिम जाति भाषा के सम्बन्ध में यह कार्य गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा चलाया जा रहा है या उन्हें सहायता देगी ?

डा० काटजू : मुझे इस का पता नहीं ।

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट

*७८८. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरक्रैफ्ट लिमिटेड एच० २ प्रकार के वायुयानों को विश्व बाजारों में बेचने की प्रस्थापना कर रहा है ;

(ख) इन में से प्रत्येक वायुयान का मूल्य ; तथा

(ग) प्रतिमास कितने वायुयान बिक्री के लिये रखे जा सकते हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां, देश की आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूरा करने के बाद ।

(ख) इस वायुयान का अन्तिम मूल्य अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है । ऐसी आशा की जाती है कि रेडियो उपकरण के मूल्य को छोड़कर इसका मूल्य लगभग ७३,००० रुपये है ।

(ग) जून। जुलाई १९५४ से आरम्भ होकर प्रतिमास पांच वायुयान बेचे जाने के लिये उपलब्ध होंगे ।

श्री रघुनाथ सिंह : इस कारखाने में साल में कितने हवाई जहाजों का उत्पादन होता है ?

सरदार मजीठिया : इस समय हमारी योजना प्रति वर्ष ६० वायुयान बनाने की है, किन्तु इस उत्पादन में वृद्धि की जायगी और यदि ऐसी आवश्यकता उत्पन्न होगी ती १२० वाययान तक बनाये जा सकते हैं ।

पूंजी विनियोजन

*७८९. **श्री के० के० बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंच वर्षीय योजना के आरम्भ किये जाने के बाद से किन किन उद्योगों में वर्ष प्रति वर्ष पूंजी लगाई गई है ; तथा

(ख) वे उद्योग कौन से है जो पहले ही से चल रहे है तथा जिनमें अतिरिक्त पंजी लगाई गई है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) तथा (ख). जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र का प्रश्न है, अपेक्षित सूचना "१९५१-५२ तथा १९५२-५३ की पंच वर्षीय योजना प्रगति रिपोर्ट" में दी हुई है जो कि एक प्रकाशित पुस्तक है । जहां तक निजी उद्योग का सम्बन्ध है, योजना काल के आरम्भ होने से चालू वर्ष तक के लिये स्थायी पूंजी विनियोजन के प्राक्कलन ४२ उद्योगों के सम्बन्ध में तैयार कर लिये गये है जो कि एक अन्य प्राकाशित पुस्तक में दिये हुए ' अर्थात्, "१९५१—५६ के लिये औद्योगिक विकास का कार्यक्रम", साथ में बिजली उत्पन्न करने तथा कुछ विविध उद्योगों जैसे पानी के पाइप, लकड़ी के पेच, सीने की मशीन, बाल बियरिंग, टाइपराइटर, रेज़र-ब्लेड, आदि का भी हाल दिया हुआ है । उपरोक्त उद्योगों में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग तेल साफ करने के कारखाने है ।

श्री के० के० बसु : पुराने उद्योगों या विशेष उद्योगों में कितने प्रतिशत विदेशी पूंजी लगी है तथा अब तक निजी क्षेत्र में कुल कितनी पूंजी लगी है ?

श्री सी० डी० देशमुख : मै इसके लिये पूर्व सूचना चाहता हूं ।

श्री एस० एन० मिश्र : क्या सरकार का विचार कोई ऐसी व्यवस्था करने का है जिससे खराब विनियोजन रुक सके तथा

सामाजिकरूप से वांछनीय मदों में सीधा विनियोजन हो सके ?

श्री सी० डी० देशमुख : पूंजी निर्गम नियंत्रण व्यवस्था भी उसी प्रकार की है । यह भी औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित उद्योगों में से किसी उद्योग को लाइसेन्स देने का मामला है ।

श्री जोकीम आल्वा : माननीय मंत्री ने टाइपराइटरों का उल्लेख किया है । मैं जानना चाहता हूं कि रेमिंग्टन को भारत में फैक्टरी बनाने की अनुमति कैसे दे दी गई जब कि गोदरेज ने सरकार के सामने बम्बई में टाइपराइटर बनाने की योजना रखी थी ?

श्री सी० डी० देशमुख : इस से मेरे मंत्रालय का सम्बन्ध नहीं है । मेरा सम्बन्ध केवल इसके वित्तीय पहलू से है ; इस का सम्बन्ध वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रीलय से है ।

उड़ीसा विधान-सभा उपनिर्वाचन

*७९०. **श्री बी० सी० दास** : **विधि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने इस आरोप की जांच करने के लिये कोई कार्यवाही की है कि जून, १९५३ में बरहमपुर अनेकसंख्यक निर्वाचन-क्षेत्र के उपनिर्वाचन के सम्बन्ध में मतदाताओं की सूची में बहुत से आन्ध्रों के नाम शामिल नहीं किये गये थे ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : जी नहीं, श्रीमान्, किन्तु मैं समझता हूं कि निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से इस आरोप के सम्बन्ध में जांच करने के लिये कहा है ।

श्री बी० सी० दास : क्या कोई निर्वाचन जो जून, १९५३ में होने वाला था, उच्च-न्यायालय के आदेश पर रोक दिया गया था क्योंकि कुछ आन्ध्र नागरिकों ने यह याचिका दी थी कि उनके नाम जान बूझ कर मतदाताओं की सूची में शामिल नहीं किये गये हैं ?

श्री बिस्वास : इस सम्बन्ध में उच्च-न्यायालय में एक याचिका दी गई थी किन्तु उच्च न्यायालयने उस याचिका को ८ सितम्बर, १९५३ को अस्वीकार कर दिया था ।

श्री बी० सी० दास : क्या यह जांच सार्वजनिक रूप से की जायेगी तथा लोग साक्ष्य दे सकेंगे ?

श्री बिस्वास : म कुछ नहीं कह सकता ; मामले का निर्देश राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को कर दिया गया है तथा उससे जांच करने के लिये भी कहा गया है । वह किस प्रक्रिया को अपनायेगा इसकी निर्वाचन आयुक्त को कोई सूचना प्राप्त नहीं है ।

श्री नानादास : उस निर्वाचन क्षेत्र में पहले मतदाताओं की सूची में कुल कितने नाम थे तथा पुनरीक्षित सूची में कितने नाम थे ?

श्री बिस्वास : मैं माननीय सदस्य को नामों की संख्या नहीं बतला सकता हूं । परन्तु आरोप लगाया गया था कि ३,००० आन्ध्र नाम छोड़ दिये गये हैं तथा उनके स्थान पर ३,००० उड़िया नाम शामिल कर लिये गये हैं ।

हिन्दी विश्वकोष

*७९१. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार हिन्दी में एक विश्वकोष की रचना करने का विचार कर रही है ; तथा

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां ।

(ख) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २१]**

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जो परामर्शदात्री समिति बनाई गई है उसकी अब तक कितनी मीटिंग्स हो चुकी हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : उसकी कई मीटिंगें हो चुकी हैं ।

श्री नवल प्रभाकर : यह जो विश्वकोष होगा क्या यह सचित्र होगा ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या कोई संग्रह भी हुआ है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां इसका पहला भाग तो तैयार हो चुका है । छपने वाला है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि अभी जो हाल में लखनऊ में लिपि सुधार के बारे में कान्फ्रेंस हुई थी उन लिपियों के बारे में सरकार कुछ करने जा रही है या नहीं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : इस सवाल से उसका क्या ताल्लुक है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बिल्कुल ही अलग है ।

अणु युद्ध विद्या में प्रशिक्षण

*७९२. **श्री यू० सी० पटनायक** : रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है कि भारतीय रक्षा सेवाओं के अधिकारी विदेशो में अणु युद्ध विद्या का प्रशिक्षण प्राप्त करें ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : जी नहीं ।

श्री यू० सी० पटनायक : क्या अणु तथा अन्य आक्रमणों से रक्षा करने के लिये रक्षा कर्मचारियों को तथा उनके द्वारा नागरिकों को प्रशिक्षित करने की कोई योजना है ?

श्री त्यागी : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री यू० सी० पटनायक : क्या सरकार हमें इस सम्बन्ध में आश्वासन दे सकती हैं कि यदि स्वयंचालित अणु बमबारी हुई या दूर की मार करने वाले किसी अन्य हथियार से हमला हुआ तो हमारा रक्षा तंत्र—बावजूद इसके कि हम उस पर वर्ष में २३५ करोड़ रुपया व्यय करते हैं—इस स्थिति में है कि हमारी रक्षा कर सके ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमान् ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है । मेरे विचार में संसार की कोई भी सरकार ऐसा आश्वासन नहीं दे सकती है ।

श्री यू० सी० पटनायक : क्या सरकार को यह मालूम है कि हमारे पड़ोसी देश, पाकिस्तान के ३०० अधिकारी विदेशों में अणु युद्ध विद्या में प्रशीक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : श्रीमान् सरकार को इस बात का पता नहीं है ।

केन्द्रीय नृत्य कालेज

*७९३. **श्री एल० जे० सिंह** :
श्री के० पी० त्रिपाठी :

(क) **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि संगीत नाटक अकादमी मनीपुर में एक केन्द्रीय नृत्य कालेज खोलने जा रही है ?

(ख) यदि हां, तो योजना क्या है ?

(ग) क्या यह कालेज पूर्णरूप से सरकारी कालेज होगा या ऐसा कालेज होगा

जिसकी सरकार आर्थिकरूप से सहायता करेगी ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग) तक : मामला विचाराधीन है तथा अब तक कोई निश्चित योजना नहीं बनाई गई है । फिर भी, इम्फाल में मनीपुर नृत्य का एक कालेज खोलने का विचार है ।

श्री एल० जे० सिंह : क्या सरकार का ध्यान अकादमी के अध्यक्ष द्वारा प्रेस को दिये गये उस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें उन्होंने यह कहा था कि केन्द्रीय नृत्य कालेज मनीपुर में खोला जा रहा है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : सब से पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि हम कालेज, अकादमी आदि शब्दों के चक्कर में न पड़ जायें । आप उसे 'कालेज' या और कुछ कह सकते हैं । इम्फाल में नृत्य अकादमी उन क्षेत्रों के लिये खोलने का विचार है जहां पर विशेष प्रकार के नृत्य होते हैं—मेरे विचार में मनीपुर नृत्य—छोठ पैमाने पर, बड़े पैमाने पर नहीं । कदाचित बड़े पैमाने पर अन्य क्षेत्रों में एक दूसरी अकादमी खोलो जाये, किन्तु अभी तक ब्योरा तैयार नहीं किया गया है । परन्तु वर्तमान योजना यही है कि इम्फाल में एक नृत्य अकादमी खोली जाये तथा शिलौंग में एक दूसरी अकादमी खोली जाये जहां आदिमजाति के नृत्यों का प्रशिक्षण दिया जाये ।

श्री एल० जे० सिंह : क्या यह सत्य है कि प्रधान मंत्री द्वारा जनतंत्र दिवस कोष में से इस नृत्य कालेज के लिये अलग से रुपया उठा कर रख दिया गया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यद्यपि मैं माननीय सदस्य को ठीक ठीक उत्तर तो नहीं दे सकता फिर भी मैं कोशिश करता हूं । जैसा कि मैं पहिले ही कह चुका हूं मामला औपचारिक रूप से सरकार के विचाराधीन है । मनीपुर अकादमी खोलने के लिये हमें कुछ रुपया प्राप्त हो गया है जिससे हम छोटे पैमाने पर काम आरम्भ कर सकते हैं और इस बीच में बड़े पैमाने वाली योजना भी तैयार हो जायगी ।

श्री राधा रमण : इस अकादमी में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे ?

केन्द्रीय भू-भौतिकी बोर्ड

*७९४. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय भ-भौतिकी बोर्ड का वर्तमान संगठन किस प्रकार से किया गया है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : अपेक्षित सूचना का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २२]

श्री के० सी० सोधिया : बोर्ड की अगली बैठक कब होगी ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं नहीं जानता किन्तु यह तो निश्चित है कि अगली जनवरी में बोर्ड का पुनःसंघटन किया जाने वाला है ।

श्री के० सी० सोधिया : साधारणतः वर्ष में उसकी कितनी बैठकें होती हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : पुराने बोर्ड का कार्य काल अगली जनवरी में समाप्त हो रहा है । उसने वर्ष में कई बैठकें बुलाई

थीं । मैं ठीक ठीक संख्या नहीं बतला सकता ।

श्री के० सी० सोधिया : इस कार्य-क्रम को कौन.....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । अगला प्रश्न ।

नगरीय क्षेत्र काश्तकारी विधेयक

*७९५. **श्री के० पी० त्रिपाठी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आसाम सरकार ने हाल ही में, अकृषिकार्य नगरीय क्षेत्र काश्तकारी विधयक को फिर से प्रारूपित किया है जिससे काश्तकारों को सीमित अधिकार दिये गये हैं ?

(ख) यदि हां तो क्या उसे राष्ट्र-पति की अनुमति के लिये सुरक्षित रखा गया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) हां ।

(ख) जी नहीं, अभी नहीं ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : गृह-कार्य मंत्री द्वारा अन्तिम विधेयक का क्या उत्तर दिया गया है ?

श्री दातार : राष्ट्रपति की अनुमति के लिय हमें विधेयक की कोई प्रति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मैं जान सकत हूं कि क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इसा विधि के, जिसे अभीं लागू किया जाने वाला था, लागू किये जाने की संभावना के कारण कितनी ही बेदखलियां हो रही हैं ?

श्री दातार : किसी न किसी रूप में यह विधेयक गत दो तीन वर्षों से हमारे समक्ष है। विधि मंत्रालय द्वारा कुछ आपत्तियां की गई थीं इसलिये आसाम सरकार का ध्यान इस विधेयक की ओर आकृष्ट किया गया था । हमारे सब सुझावों को अभी तक माना हीं गया है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : म जान सकता हूं कि क्या सरकार को ज्ञात है कि यह बिधान इस रूप में पारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह संविधान के विरुद्ध है ?

श्री दातार : यह भी एक कारण है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : नगरीय क्षेत्र काश्तकारी अधिकारों के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है—क्या सरकार की नीति काश्तकारों को मौरूसी तथा हस्तान्तरण का अधिकार देने की है ?

श्री दातार : इस का भी अभी निर्णय होने को है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मैं जान सकता हूं कि क्या इस के सम्बन्ध में संविधान का कोई संशोधन सरकार के विचाराधीन है ?

श्री दातार : मैं यह बताना चाहता हूं कि यह आपत्ति उठाई गई थी कि यह उपबन्ध अनुच्छेद १९ (५) के अनुसार अनुचित हैं, इसलिये हमने यही उचित समझा है कि राष्ट्रपति से अनुमति प्रदान करने की प्रार्थना करने से पूर्व, आसाम के माननीय मंत्री से यहां आने की प्रार्थना की जावे । वह कुछ ही दिनों में यहां आ रहे हैं तब हम इस मामले को निपटाने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । अगला प्रश्न ।

अलीगढ़ मुस्लिम सम्मेलन

*७९७. **श्री गिडवानी :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विभूति मिश्र :

(क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को यह ज्ञात है कि हाल में हुए अलीगढ़ मुस्लिम सम्मेलन के आयोजकों तथा पाकिस्तान के समाचार पत्रों तथा कुछ तत्वों के मध्य घनिष्ट सम्पर्क था ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि इस सम्मेलन की कार्यवाही पहले पाकिस्तान के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी ?

(ग) यदि हां, तो भारत से समाचार भेजने के लिए कौन कौन सी समाचार एजन्सियां जिम्मेदार थीं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) सरकार को ऐसे किसी सम्पर्क की कोई सूचना नहीं है । फिर भी यह सत्य है कि इस सम्मेलन का समाचार दिल्ली के एसोसियेटेड प्रेस आफ़ पाकिस्तान के संवाद-दाता द्वारा , जो इस सम्मेलन की सूचना प्राप्त करने के लिए अलीगढ़ गया था, पाकिस्तान के समाचार पत्रों को भेजा गया गया था ।

(ख) जी नहीं । इस सम्मेलन का समाचार भारत के कुछ उर्दू समाचार पत्रों में पहले प्रकाशित हुआ था ।

(ग) पाकिस्तान के समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाला समाचार पाकिस्तान के एसोसियेटेड प्रेस का दिया हुआ था ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार का ध्यान "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित होने वाले, उत्तर प्रदेश के गृह-कार्य मंत्री श्री सम्पूर्णानन्द, के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि इस सम्मेलन की दो प्रमुख विशेषतायें यह थीं कि उसका अधिवेशन रात्रि के समय इसलिये किया गया था जिस से कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी उसकी कार्यवाही में भाग ले सकें, दूसरी यह कि इस सम्मेलन के संगठनकर्त्ताओं ने पाकिस्तान के कुछ तत्वों तथा समाचार पत्रों से घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित किया हुआ था ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): मैंने " टाइम्स आफ़ इण्डिया " वाला वह वक्तव्य पढ़ा है ।

श्री गिडवानी : क्या वह सत्य है ?

डा० काटजू : जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, उत्तर के भाग (क) में जो अभी पढ़ा गया है, स्थिति का, वर्णन किया जा चुका है ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार को ज्ञात है कि बहुत से अतिशयोक्त पूर्ण, भ्रमोत्पादक तथा उत्तेजक भाषण दिये गये थे जिन में जनता को हिंसा करने तथा सन् १९४७ की घटनाओं की पुनरावृत्ति करने के लिये उत्तेजित किया गया था ?

डा० काटजू : उर्दू समाचार पत्रों में मैंने कुछ बयान पढ़े हैं परन्तु मैं समझता हूं कि मेरे माननीय मित्र ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वह उचित नहीं है । संभवत: इस में तनिक अतिशयोक्ति जान पड़ती है ।

श्री गिडवानी : मैं जान सकता हूं कि क्या ऐसे व्याख्यान देने वाले किसी वक्ता के विरुद्ध, जिसने जनता को हिंसा करने के लिये उत्तेजित किया हो या साम्प्रदायिक खिचाव उत्पन्न करने का प्रयत्न किया हो, कोई कार्यवाही की गई है ?

डा० काटजू : अभी नहीं । इस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार उस वक्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार करती है ?

डा० काटजू : मैं बता चुका हूं कि यह विषय विचाराधीन है ।

श्री जोकीम आल्वा : उस समय से, जब कि हमारे सम्मानित शिक्षा मंत्री के साथ अलीगढ़ में घोर अशिष्टता तथा अपमानजनक व्यवहार किया गया था, आज तक साम्प्रदायिकता ने, जिसका रूप गुप्त रहा है, पुनः प्रकट रूप धारण कर लिया है तथा उसे अलीगढ़ में पुनः आमंत्रित किया गया है । क्या सरकार को ज्ञात है कि मुस्लिम लीग की विचार धारा अब भी गुप्त रूप से प्रवाहित हो रही है ?

डा० काटजू : मैं इस प्रश्न को समझने का प्रयत्न कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक मैं समझा हूं आशय यह है कि हमारे शिक्षा मंत्री का व्याख्यान हेय तथा अपमानजनक दृष्टि से स्वीकार किया गया था तथा मुस्लिम लीगी मनोवृत्ति अब भी भारत में जीवित है अथवा अब भी विद्यमान है ।

डा० काटजू : जहां तक हमारे सम्मानित सहयोगी के व्याख्यान का सम्बन्ध है, मुझे वास्तव में ज्ञात नहीं है । जहां तक मुस्लिम लीगी मनोवृत्ति के जीवित होने या न होने का प्रश्न है, यह तो सम्बन्धित जनता पर निर्भर करता है । कुछ व्यक्तियों में कदाचित वह मनोवृत्ति है तथा कुछ उस पर विजय पाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री यू० सी० पटनायक : मैं जान सकता हूं, श्रीमान्, कि क्या हमारे देश की पंचमस्तंभ सम्बन्धी कार्यवाहियों का प्रतिरोध करने के लिये गृह-कार्य तथा रक्षा मंत्रालयों की सुरक्षा सेनाओं द्वारा कोई समन्वयः पूर्ण प्रयत्न किया जाता है ?

डा० काटजू : हमारे देश में कोई पंचम स्तंभ कार्यवाहियां नहीं हो रही हैं । हमारे देश की जनता शान्ति तथा व्यवस्था का जीवन व्यतीत कर रही है । यदि कोई पंचम स्तंभ कार्यवाही होगी तो हम उसे रोकने का प्रयत्न करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नों का घण्टा समाप्त हो गया ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रेडियो के पुर्जों का निर्माण

*७५६. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हमारे अनुसन्धान संस्थानों में से किसी ने देशज कच्चे माल को काम में लाकर रेडियो के पुर्जों का निर्माण करने वाली प्रक्रियाओं के विकासार्थ कोई अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ किया है ?

(ख) यदि हां, तो ऐसे संस्थान कौन कौन से हैं ?

(ग) क्या अभी तक विकास किये जाने वाली किसी प्रक्रिया की वाणिज्य संभाव्यताओं का भारत में कहीं कोई परीक्षण किया गया ह ?

(घ) यदि हां, तो उस का परिणाम क्या निकला ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) से (घ) । अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २३]**

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी

*७५९. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री उन छात्र सैनिकों की संख्या बताने की कृपा करेंगे जो सन् १९५१, १९५२ तथा १९५३ में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रविष्ट किये जाने के लिये चुने गये थे परन्तु बाद में प्रशिक्षण के प्रथम तथा द्वितीय वर्ष में निकाल दिये गये थे ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : इस अकादमी में सन् १९५१ में ५१५ छात्र सैनिकों को प्रविष्ट किया गया था, जिसमें से ४ प्रशिक्षण के प्रथम वर्ष में तथा १० द्वितीय वर्ष में हटा लिये गये थे। सन् १९५२ की अनुक्रमिक संख्यायें ७२८, १५ तथा ३ हैं। चालवर्ष में कुल ६७६ में से, जिनको अकादमी में प्रविष्ट किया गया, अभी तक केवल ७ हटाये गये हैं।

सैनिक कर्मचारियों की गुप्त रिपोर्टें

*७६०. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सेना में सैनिकों को, उन की गुप्त रिपोर्टें, अच्छी या बुरी जैसी भी हों, दिखाई जाती हैं, तथा उन पर उनके हस्ताक्षर लिये जाते हैं ?

(ख) क्या कोई सैनिक, यदि वह यह अनुभव करे कि उसके सम्बन्ध गलत रिपोर्ट की गई है, अपने उच्चतर अधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन कर सकता है ?

(ग) क्या ऐसा अवसर रक्षा अकादमी के असैनिक छात्रों को भी दिया जाता है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) (क) से (ग). जी हां, श्रीमान्।

राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल शिविर

*७६६. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उन स्थानों के नाम जहां सन् १९५३ में राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल शिविर समवेत किये गये थे ?

(ख) इन में से प्रत्येक स्थान में छात्र सैनिकों द्वारा किये जाने वाले सामाजिक कार्य क्या हैं तथा ऐसे कार्यों का विवरण क्या है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २४**]

राल

*७७४. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला द्वारा खोज निकाले गये कृत्रिम राल तैयार करने के उपायों का वाणिज्यिक उपयोग करने के कौन से उपाय किये जा रहे हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २५**]

राष्ट्रीय नमूना परिमाप

*७९६. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय नमूना परिमाप के प्रतिवेदन संख्या १ में वादा किये गए प्रथम दौरे से सम्बन्ध रखने वाला "अग्रेतर प्रतिवेदन तथा टेक्निकल प्रकार का अध्ययन" कब तक उपलब्ध होगा ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : राष्ट्रीय नमूना परिमाप के प्रथम दौरे के परिमापों पर आधारित कोई भी अग्रेतर प्रतिवेदन तथा टेक्नीकल प्रकार के अध्ययन तैयार नहीं किये गये हैं। अग्रेतर सामग्री क्रमवार दौरों में एकत्रित की गई है। इस सामग्री के आधार पर दो अध्ययन तैयार किये गये हैं, तथा अग्रेतर अध्ययन तैयार किये जा रहे हैं।

अल्प बचतें

३६६. **डा० अमीन :** (क) क्या **वित्त** मंत्री योजना आयोग द्वारा वर्ष १९५३ में (अक्तूबर तक) किये गये प्रचार के परिणामस्वरूप अल्प बचतों में हुई अनुमानित वृद्धि को बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) प्रचार पर कितना धन व्यय हुआ है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) तथा (ख) . योजना आयोग विशेष रूप से अल्प बचतों के लिये कोई प्रचार नहीं कर रहा है । इस योजना के लिये प्रचार साधारणतया राष्ट्रीय बचत संगठन द्वारा किया जाता है तथा इस प्रचार पर होने वाला व्यय लगभग ७ लाख रुपये प्रति वर्ष है ।

अल्प व्यय आन्दोलन के एक अंश के रूप में योजना आयोग की सिपारिश पर हाल ही में एक महिला बचत आन्दोलन को आरम्भ किया गया है । यह आन्दोलन भी अधिकांशतः राष्ट्रीय बचत संगठन की प्रचार सामग्री पर ही निर्भर करता है तथा इसके सम्बन्ध में किये गये व्यय के आंकड़े अलग नहीं रखे जाते हैं ।

महिला बचत आन्दोलन के विषय में कुछ निर्णय करना समय से बहुत पूर्व की बात है । चालू वर्ष के प्रथम सात महीनों में अल्प बचत योजना के अन्तर्गत लगभग २१ करोड़ रुपये की कुल राशि एकत्रित की जा चुकी है ।

मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान विभाग

३६७. श्री वी० मिश्र : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) रक्षा विज्ञान संगठन के मनोवैज्ञानिक विभाग के सम्बन्ध में किया गया व्यय ; तथा

(ख) इस विभाग के कृत्य क्या हैं ?

. रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान विभाग पर किया गया व्यय लगभग २,२०,००० रुपये प्रति वर्ष है ।

(ख) इसका मुख्य कार्य सेवा चुनाव पर्षदों की कार्यपद्धति का लगातार पुनरीक्षण करके इस बात का निश्चय करना है कि प्रार्थियों पर किये गये प्रयोग यथोचित एवं नये हैं तथा उनका निर्वचन नवीनतम मनोवैज्ञानिक अनुसन्धानों के अनुसार ही किया गया है । यह विभाग नवीन मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का निर्माण करने तथा उन कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये भी जो विभिन्न पर्षदों द्वारा चुनाव करके नियुक्त किये जाते हैं । उत्तरदायी है ।

भारतीय ओलम्पिक परिषद्

३६८. श्री वी० पी० नायर : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार को हेलिंस्की में हुए पिछले ओलम्पियाड के भाग लेने वाले भारतीय पहलवानों तथा खिलाड़ियों के भाग लिये जाने के सम्बन्ध में भारतीय ओलम्पिक परिषद के मंत्री अथवा सभापति से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद): ऐसा कोई प्रतिवेदन भारत सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है ।

आंग्ल भारतीयों की शिक्षा

३६९. श्री के० सी० सोधिया : (क) क्या **शिक्षा** मंत्री वर्ष १९५२-५३ में आंग्ल भारतीयों की शिक्षा के लिये स्वीकृत किये गये अनुदान की कुल राशि बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) इस अनुदान को प्राप्त करने वाली शिक्षा संस्थाओं की कुल संख्या क्या थी ?

(ग) उनमें से प्रत्येक में कुल छात्र संख्या तथा प्रत्येक में अन्य जातियों के विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या थी ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) से (ग) . राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित

की जा रही है तथा उत्तर को यथा समय सदन पटल पर रख दिया जायगा ।

मैंगनीज तथा लौह प्रस्तर

३७०. **श्री जोकीम आल्वा** : क्या **प्राकृतिक संसाधान तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि बम्बई राज्य के बेलगांव ज़िले तथा विशेषकर खानापुर-तालुका में मैंगनीज़ तथा लौह प्रस्तर की अनुमानित प्राप्ति मात्रा क्या है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : सूचना एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सदन पटल पर रख दी जायगी ।

एल्यूमीनियम के निक्षेप

३७१. **श्री जोकीम आल्वा** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या एल्यूमीनियम के निक्षेप बम्बई राज्य के बेलगांव ज़िले के चन्दागढ़ तथा खानापुर तालुकों में पाये गये हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : जी हां, श्रीमान ।

पेट्रोलियम परिमाप

३७२. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत के भूगर्भ परिमाप विभाग ने बंगाल के मैदान में पैट्रोलियम की विद्यमानता का पता लगाने के लिये अमरीकन कम्पनी द्वारा किये गये वायू चुम्बकीय परिमाप से पूर्व कोई परिमाप किया था ; तथा

(ख) क्या भारत में कोई अन्य स्थान भी ऐसा है जहां पैट्रोलियम के पाये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी नहीं श्रीमान ।

(ख) जी हां, श्रीमान ।

रेडियोग्राफी में प्रशिक्षण

३७३. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या किन्ही विशेषज्ञों को आधुनिक औद्योगिक रेडियोग्राफी संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये विदेशों को भेजा गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनों को तथा किन किन देशों को ; तथा

(ग) क्या कोलम्बो योजना के अन्तर्गत इसमें अथवा इस विज्ञान की अन्य शाखाओं के और अधिक विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने की कोई व्यवस्था है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) एक । संयुक्त राज्य को ।

(ग) जी हां ।

आगरा छावनी में सैन्य भूमि

३७४. **सेठ अचल सिंह** : (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि आगरा छावनी की सैनिक भूमियां दरेसी संख्या २ तथा ३ के लिये पिछले बीस वर्षों में संग तराशों से कितना अधिशुल्क लिया गया तथा उनसे कितना वार्षिक किराया वसूल किया जा रहा है ?

(ख) पिछले पचीस वर्षों से इस अधिशुल्क तथा किरायों को वसूल करने के लिये दरों की क्या निर्धारित तालिका रही है ?

(ग) क्या आगरा छावनी में विशेषकर दरेसी संख्या २ तथा ३ में कोई सैन्य भूमि निजी सन्धि के आधार पर इसी काल में

किसी धर्मादा अथवा शिक्षा सम्बन्धी कार्य के लिये पट्टे पर उठाई गई है ?

(घ) यदि हां, तो उनसे वसूल किये गये अधिशुल्क अथवा किराये की राशि क्या है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) संग तराशों से वसूल किया गया कुल प्रारम्भिक अधिशुल्क इस प्रकार था :—

	रु०	आ०	पा०
दरेसी संख्या २	९२	०	०
दरेसी संख्या ३	७३४३	०	०
योग	७४३५	०	०

उनसे वसूल किया जा रहा कुल वार्षिक किराया यह है—

	रु०	आ०	पा०
दरेसी संख्या २	४४६६	६	९
दरेसी संख्या ३	३३७३	९	७
योग	७८४०	०	४

(ख) **अधिशुल्क :** सन् १९३२ से पूर्व अधिशुल्क वसूल करने के लिये किरायों की कोई निर्धारित दर तालिका नहीं थी, और न उनके लिये कोई कठोर नियम ही थे। प्रत्येक मामले का निर्णय उसके गुणों के अनुसार किया जाना था तथा अधिशुल्क पट्टे की किस्म के अनुसार लिया जाता था।

किराया वाणिज्यक दरें : निर्धारित किरायों की तालिका सर्वप्रथम सन् १९३२ में संकलित की गई थी तथा क्रमशः समय समय पर उसे इस प्रकार से संशोधित किया गया था :

१९३२—३ रुपये ६ आने से ३६ रुपये प्रति १०० वर्ग फुट प्रति वर्ष।

१९३४—३ रुपये से २७ रुपये प्रति १०० वर्ग फुट प्रति वर्ष।

१९३९—३ रुपये १२आने से ३३ रुपये १२ आने प्रति १०० वर्ग फुट प्रति वर्ष।

१९४५—२ रुपये से ५० रुपये प्रति १०० वर्ग फुट प्रति वर्ष।

१९४९—४ रुपये से ८० रुपये प्रति १०० वर्ग फुट प्रति वर्ष। (अब भी लागू है)

(ग) जी हां।

(घ) (१) दरेसी संख्या २ में ११४ वर्ग फुट का एक छोटा सा भूमिखंड निजी समझौते के द्वारा, प्याऊ के लिये पट्टे पर दिया १ रु० ५ आ० वार्षिक टकीना तथा ५ रुपया नजराना लेकर ३० वर्ष के लिए पट्टे पर जिसे ९० वर्ष तक के लिये नया कराया जा सकता है, दिया गया था।

(२) दरेसी संख्या २ में ०·३ एकड़ का एक प्लाट निजी समझौते पर सन् १९४९ में अचल ट्रस्ट को एक पब्लिक हाल, पुस्तकालय तथा वाचनालय के लिये ३० वर्षों के पट्टे पर जिसे ९० वर्ष तक के लिये नया कराया जा सकता है। १०४४ रुपये वार्षिक टकीने तथा १०४४० रुपये नज़राना लेकर दिया गया है।

(३) दरेसी क्षेत्र के बाहर का एक प्लाट सन् १९४५ में १०० रुपये नज़राना पर तथा बिना किसी टकीने के सरकारी भूमि (पट्टा दवामी) पर हस्तक्षेप सम्बन्धी विनियमन के लिये सी० एल० ए० नियम १९३७ की अनुसूची ११ के अनुसार भूसामंडी में स्थित एक मन्दिर को पट्टे पर दिया गया है।

संभल में मस्जिद

३७५. श्री वी० जी० देशपाण्डे : (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या ज़िला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में संभल स्थान पर एक मस्जिद है, जिस का

संरक्षण पुरातन स्मारक अधिनियम के अधीन किया जाता है ?

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है, कि मुसलमान जनता मस्जिद की बनावट में कुछ परिवर्तन कर रही है ?

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर भी दिलाया गया है कि पुरातत्व विभाग द्वारा वहां लगाई गई एक प्लेट को, जो उस मस्जिद का इतिहास बतलाती थी वहां से हटा दिया गया है ?

(घ) सरकार इस मामले में क्या करने का विचार रख ती है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) :

(क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं

(घ) यदि सूचना सच्ची है, तो उक्त तख्ती को पुनः वहीं स्थापित करने के लिये आवश्यक कार्यवाई की जायगी और न्यासधारियों को करार की शर्तों के अनुसार कार्य करने के लिये कहा जायेगा।

स्काउट तथा गाइड

३७६. सरदरा ए० एस० सहगल : क्या शिक्षा मंत्री प्रत्येक राज्य में स्काउटों तथा गाइडों की संख्या सम्बन्धी आंकड़े बताने की कृपा करेंगे ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) ; एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **(देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २६)**

आयकर (बकाया)

३७७. श्री भागवत झा : (क) क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने आय कर की बकाया को वसूल करने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

(ख) समस्त देश भर में आय-कर की कुल कितनी रकम बकाया है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) आय-कर की बकाया को वसूल करने के लिये सरकार द्वारा अपनाये गये उपाय संलग्न विवरण में दिये गये हैं ?

(ख) ३० सितम्बर, १९५३ को समस्त भारत में (अधिकर, अतिरिक्त लाभ-कर तथा व्यापार लाभ-कर सहित आय-कर) की कुल बकाया इस प्रकार है :

(आंकड़े हजारों में)

	सन् १९५१-५२ तथा पूर्व वर्षों की मांग में से	सन् १९५२-५३ की मांग में से	सन् १९५३-५४ की मांग में से
आय कर	८३,५१,६३ रुपये	४१,०८,७८ रुपये	२८,३८,८२ रुपये
अतिरिक्त लाभ-कर	२५,७६,०० रुपये	१,५७,१२ रुपये	१ १४,०९ रुपये
व्यापार लाभ-कर	९७,३० रुपये	८६,०१ रुपये	८४.०६ रुपये
कुल जोड़	१,१०,२४,९३ रुपये	४३,५१,९१ रुपये	३०,३६,९७ रुपये

बकाया रकमों की विविध मदें : २,०९,७५*

* (टिप्पणी : इस में चालू अनदान की बकाया भी सम्मिलित है। वर्ष वार व्यौरा इस समय उपलब्ध नहीं है।)

इस प्रश्न सम्बन्धी और अधिक जानकारी संलग्न विवरण पत्र में दी गई है।

विवरण पत्र

प्रश्न के भाग (क) सम्बन्धी जानकारी अप्राप्ति के मामलों में आय-कर वसूल करने की सामान्य पद्धति यह है कि भारतीय आय-कर-अधिनियम की धारा ४६ (१) के अधीन जुर्माना किया जाता है, और उसके पश्चात् अधि नियम की धारा ४६(२) के अधीन, यदि आवश्यक हो तो, कलक्टर के नाम रकम वसूल करने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

सन् १९४८ में आयकर अधिनियम की धारा ४६ में उपधारा (५क) और (८) को जोड़कर उस के पुनः प्राप्ति के उपबन्धों को अधिक व्यापक बनाया गया था।

धारा ४६ (५क) आय-कर प्राधिकारियों को यह अधिकार प्रदान करती है कि कर चुकाने वालों को दूसरों से जो रकम लेनी हो, उसे वह कुर्क कर सकते हैं। उपधारा (८) का आशय उन लोगों से बकाया वसूल करने में सुविधाएं प्रदान करना है, जो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गये हैं।

२. निष्कर्मणार्थियों तथा उन अन्य व्यक्तियों के मामले में, जो स्थायी रूप से देश छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं, सम्पत्ति के हस्तांतरण का पंजीयन करनें से पूर्व कर- मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक बना दिया गया है।

३. उन उपायों के अतिरिक्त, जो आय-कर प्राधिकारियों को अधिक अधिकार प्रदान करते हैं, पर्षद् ने आयकर प्राधिकारियों को समय समय पर बकाया रकम वसूल करने में शीघ्रता करने तथा विशेषकर अपने अधिकारों का क्रियाकारी उपयोग करने पर जोर दिया है। कई महत्व पूर्ण क्षेत्रों में, जैसे कि बम्बई में, प्रमाण पत्र के अधीन राजस्व वसूल करने के मामले में, राजस्व समाहर्त्ताओं के कर्तव्यों में विशेष प्राधिकारियों की नियुक्ति के द्वारा सुविधा उत्पन्न की गई है।

४. पर्षद् लगातार बकाया आय-कर की पुनः प्राप्ति की देख रेख कर रहा है।

प्रश्न के भाग (ख) के सम्बन्ध में अग्रेतर जानकारी।

बकाया योग (आय-कर, अतिरिक्त लाभ-कर तथा व्यापार लाभ-कर) की बकाया रकम समस्त भारत में ३०, सितम्बर १९५३ को १८,४१४ लाख रुपये थी। बकाय मांग का वर्ष-वार व्यौरा नीचे दिया जाता है।

(आंकड़े हज़ारों में)

१९४०-४१	१
१९४१-४२	१
१९४२-४३	८
१९४३-४४	२८१०
१९४४-४५	६६३७
१९४५-४६	१६१०६
१९४६-४७	७१५००
१९४७-४८	९९५५२
१९४८-४९	१४३६६७
१९४९-५०	१६८९३८
१९५०-५१	२५६४१३
१९५१-५२	३३६८६०
१९५२-५३	४३५१९१
१९५३-५४	३०३६९७
जोड़	१८४१३८१

बकाया योग (आय-कर, अतिरिक्त लाभ-कर तथा व्यापार लाभ-कर) का जो सितम्बर १९५३ की समाप्ति पर बकाया थी,

विशलेषण सम्बन्धी संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है :—

(आंकड़े हजारों में)

	१९५१–५२ तथा पूर्व के वर्षों की बकाया रकम	१९५२–५३ की बकाया रकम	सन् १९५३–५४ की योग में से बकाया रकम	जोड़
१. वह रकम जिसका दुहरे आय-कर तथा दूसरे सुविधा सम्बन्धी दावों के कारण अभी फैसला नहीं हुआ है	२२११२१	३७२१४	४९७७	२६३३१२
२. उन लोगों की ओर बकाया रकम जो भारत छोड़ गये हैं और भारत में जिन की कोई परिसम्पत् नहीं हैं	८८६३१	७४७०	३०६	९६४०७
३. परिसमापन अधीन समवायों द्वारा देय राशि	३५७८४	५५८३	६५	४१४३२
४. कलक्टरों को जारी किए गये प्रमाणपत्रों में आई हुई रकम (उपरोक्त मदों १ से ३ तक सम्बन्धित प्रमाणपत्रों के अतिरिक्त)	४८३१६७	५१५९९	३५०८	५३८२७४
५. पुनरावेदनों का निर्णय न होने के कारण बक़ाया राशि (उपरोक्त मदों १ से ४ तक के अतिरिक्त)	९६२३१	८४४९२	४१९४	१८४९१७
६. वह राशि, जिस के विषय में धारा ४६ के अधीन जर्माना किया गया है (इस में १ से ५ तक की मदों की राशि सम्मिलित नहीं की जानी चाहिये)	१८६१६	१७५३१	१४९२	३७६३९
७. अन्य कारणों से अप्राप्य राशि (अर्थात् भारत के उन व्यक्तियों से जिन की भारत में परिसम्पत्तें नहीं हैं)	३७२५०	११४६४	१०	४८७२४
८. संभवत : अप्राप्य	३८२३०	६५२९	२०९	४४९६८
९. प्राप्त की जाने वाली शेष राशि जो,				
(क) ३०-९-५३ से पूर्व देय हो गई है	४०३५०	१७१६०७	१२२८०४	३३४७६१
(ख) ३०-९-५३ से पूर्व देय नहीं हुई है	४३११३	४१७०२	१६६१३२	२५०९४७
जोड़	११०२४९३	४३५१९१	३०३६९७	१८४१३८१

राम कृष्ण महाविद्यालय

३७८. **श्री दशरथ देव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कैलाशहर, त्रिपुरा के "राम कृष्ण महाविद्यालय" को त्रिपुरा सरकार की ओर से कोई वार्षिक अथवा मासिक सहायता मिलती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कालिज की प्रबन्धक समिति ने इस प्रकार की सहायता के लिये सरकार से निवेदन किया है; तथा

(ग) यदि किया है, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) :

(क) इस संस्था को वार्षिक अथवा मासिक आधार पर कोई नियमित अनुदान नहीं दिया जाता है। परन्तु त्रिपुरा राज्य सरकार ने कालिज को सन् १९५० - ५१ में ४,९५० रुपये और सन् १९५१-५२ में १,८०० रुपये के तदर्थ पूंजी अनुदान दिये थे।

(ख) जी, हां।

(ग) चालू वितीय वर्ष १९५३-५४ में सहायक अनुदान देने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

भाग 'ख' राज्यों में मुख्य-सचिव तथा पुलिस के महानिरीक्षक की नियुक्ति

३७९. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भाग 'ख' राज्यों में मुख्य सचिव तथा पुलिस के महानिरीक्षक की नियुक्ति के मामले में राज्य मंत्रालय का पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करना पड़ता है ; तथा

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां।

(ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद ३७१ के अन्तर्गत भाग 'ख' राज्यों के विषय में भारत सरकार पर जो ज़िम्मेदारी है उस के दृष्टिगोचर राज्य मंत्रालय का पूर्व-अनुमोदन आवश्यक है।

अफीम फैक्टरी, गाज़ीपुर

३८०. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) इस समय गाज़ीपुर की अफीम फैक्टरी में अफ़ीम का स्टाक ;

(ख) क्या यह तथ्य है कि स्टाक के इकट्ठा हो जानें के कारण फैक्टरी जितने समय पहले कार्य किया करती थी उस की अपेक्षा अब आधे समय कार्य कर रही है ;

(ग) क्या यह तथ्य है कि फैक्टरी में काम की कमी होने के कारण फैक्टरी के कुछ इंजीनियरों, मज़दूरों तथा कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई है ;

(घ) यदि हां, तो उन की संख्या ; तथा

(ङ) फैक्टरी में स्टाक जमा हो जाने के कारण ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) तथा (ख) अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में बहुत ही प्रतियोगिता होने के दृष्टिगोचर ठीक स्टाक बताना हमारे हित में नहीं होगा। हां, मैं इतना कह सकता हूं कि अफीम का वर्तमान स्टाक अफीम की सामान्य अपेक्षा के अनुकूल है। विदेशी बाज़ारों में अफीम के अल्कलाइड की मांग में कमी हो जाने के कारण गाज़ीपुर के सरकारी अल्कलाइड कारखाने की दो शिफ्टों के स्थान पर १ अक्तूबर १९५३ से एक ही शिफ्ट चलानी पड़ी।

(ग) से (ङ) तक. इस के परिणाम स्वरूप ७६ व्यक्तियों की छंटनी करनी पड़ी । इन में से ५४ अस्थायी कर्मकर वर्ग के थे । इस वर्ग की संख्या फैक्टरी की अपेक्षा के अनुसार समय समय पर बढ़ा घटा दी जाती है । शेष २२ में से १४ को तब से दूसरी नौकरी दिलाई गई है । अन्य व्यक्तियों को दूसरी नौकरी दिलाने के लिये भी हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है ।

गाडगिल समिति

३८१. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री एन० वी० गाडगील के सभापतित्व में नियुक्त की गई महंगाई भत्ता समिति की इस सिफारिश के बारे में क्या कार्यवाही की गई है कि एक क्षमताशाली निकाय द्वारा अखिल-भारतीय निर्वाह व्यय सूचना-आंकड़े तैयार करवा कर प्रकाशित किये जायें ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : महंगाई भत्ता समिति के प्रतिवेदन के प्रकाशन के समय से लगातार श्रम ब्यूरो १९४४ को आधार मान कर अखिल-भारतीय श्रमजीवी वर्ग सम्बन्धी निर्वाह-व्यय सूचना-आंकड़े प्रकाशित करता है । मध्य भर्ग सम्बन्धी सूचना-आंकड़े की एक ऐसी ही माला प्रकाशित करने और बाद में दोनों का एकीकरण करके सम्पूर्ण अखिल-भारतीय सूचना- आंकड़े बनाने के प्रश्न पर केन्द्रीय सांख्यकीय संस्था के परामर्श सहित सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

सत्यमेव जयते

बुधवार,
९ दिसंबर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13·3·92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

बुधवार ९, दिसम्बर, १९५३

[सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई]

(अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे)

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

२-३० म० प०

असरकारी सदस्यों के विधेयकों संबंधी समिति

प्रथम प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री एम० ए० अय्यंगार (तिरूपति) : मैं असरकारी सदस्यों के विधेयकों सम्बन्धी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

समितियों के लिए निर्वाचन

केन्द्रीय रेशम मंडली

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि केन्द्रीय रेशम मण्डली (संशोधन) अधिनियम, १९५३ द्वारा संशोधित केन्द्रीय रेशम मण्डली अधिनियम, १९४८ की धारा ४ की उपधारा (३) के खण्ड (ग) के अनुसार यह सदन अध्यक्ष द्वारा निदेशित ढंग से अपने ही बीच में से एक सदस्य को केन्द्रीय रेशम मण्डली में एक सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये निर्वाचित करे ।"

तदुपरांत अध्यक्ष महोदय ने वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री का उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया और वह स्वीकृत हुआ ।

भारतीय विज्ञान संस्था की परिषद्, बंगलौर

प्राकृतिक संशोधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उप-मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सदन अध्यक्ष द्वारा निदेशित ढंग से बंगलौर की भारतीय विज्ञान संस्था की परिषद्, में १९५४—५६ (दोनों वर्षों को मिला कर) के तीन वर्षों के लिये कार्य करने के लिए एक सदस्य को, उक्त संस्था की सम्पत्तियों एवं निधियों के प्रशासन तथा प्रबंध की संशोधित योजना के खंड १४

[श्री के० डी० मालवीय]

(२) के उपबन्धों के अनुसार तथा संस्था के विनियमों के विनियम २.१ के अधीन, निर्वाचित करे ।"

तदुपरांत अध्यक्ष महोदय ने श्री मालवीय के उक्त प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, जो स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि निम्नलिखित निकायों के लिये एक एक सदस्य निर्वाचित करने के संबंध में नाम निर्देशन प्राप्त करने, नाम वापस लेने तथा निर्वाचन की निम्नलिखित तिथियां निश्चित की गई हैं :

	नाम निर्देशन की तिथि	नाम वापस लेने की तिथि	निर्वाचन की तिथि
१. केन्द्रीय रेशम मण्डली २. भारतीय विज्ञान संस्था की परिषद्, बंगलौर	१०.१२.५३	११.१२.५३	१५.१२.५३

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : मुझे सूचना मिली है कि केन्द्रीय रेशम मण्डली की एक बैठक १९ दिसम्बर को होगी । मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सदस्य अब निर्वाचित होंगे क्या वे उस बैठक में सम्मिलित होंगे ?

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव सारी मण्डली में एक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये एक सदस्य के चुनाव के हेतु है ।

उक्त तिथियों पर ४ बजे म० प० तक इन निकायों के लिये नाम-निर्देशन तथा नाम वापस लेने के आवेदन पत्र संसदीय सूचना कार्यालय में स्वीकार किये जायेंगे ।

निर्वाचन एकत्र संक्रमणीय मत के द्वारा संसद् भवन के पहले खण्ड पर स्थित समिति कमरा संख्या ६२ में ढाई बजे से पांच बजे म० प० के बीच होगा ।

कलकत्ता उच्चन्यायालय (क्षेत्राधिकार विस्तार) विधेयक

गृह-कार्य तथा राज्यमंत्री (डा० काटजू): मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के के क्षेत्राधिकार को चन्द्र नगर और अन्डमान तथा निकोबार द्वीपों तक विस्तृत करने के विधेयक पर, जिस रूप में वह राज्य परिषद् द्वारा पारित किया गया है, विचार किया जाय ।"

इस विधेयक का उद्देश्य कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का, चन्द्रनगर पर, जो अभी हाल ही में भारत संघ का अंग बना है, तथा अन्डमान और निकोबार द्वीपों पर विस्तार करना है । जैसा कि माननीय सदस्य गण उद्देश्यों और कारणों के विवरण से देख चुके होंगे, राष्ट्रपति द्वारा १९५० में जारी किये गये एक आदेश के अधीन जब चन्द्रनगर भारत का वस्तुतः एक अंग बना, तो कुछ विधियों का उस क्षेत्र में विस्तार किया गया था और कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार भी चन्द्रनगर पर लागू कर दिया गया था । उसी प्रकार, आज भी कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन व्यवहार प्रक्रिया संहिता तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता सहित कुछ विधियों का अन्दमान और निकोबार द्विपों पर विस्तार

किया गया है । इस विधेयक का उद्देश्य इन दो प्रदेशों पर सभी प्रयोजनों के हेतु उच्चन्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार करना है ।

प्रस्तुत किये गए एक संशोधन की सूचना से मैं देखता हूं कि संबंधित प्रदेशों में लोक मत जानने के लिये लोगों को कुछ परेशानी है । जहां तक चन्द्रनगर का संबंध है, माननीय सदस्यों को मालूम है कि वह ग्रैंड-ट्रंक-रोड पर कलकत्ता से केवल ३४ मील दूर है, मैं सचमुच यह नहीं समझ सकता कि लोक मत क्या हो सकता है । कोई भी यह नहीं कह सकता कि चन्द्रनगर को पटना उच्च न्यायालय अथवा नागपुर उच्च-न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन रखा जाय । इस के लिये एक मात्र कलकत्ता उच्च न्यायालय है । सभी प्रयोजनों के लिये यही परिस्थिति आज कल अन्डमान और निकोबार द्वीपों में है । मेरा अनुमान है कि वहां से मुकदमें बहुत अधिक संख्या में नहीं आते और मैं नहीं समझता कि इस संबंध में किसी लम्बे भाषण की आवश्यकता है ।

श्री पाटस्कर (जलगांव) : मैं एक वैधानिक महत्व का प्रश्न उठाना चाहता हूं । इस विधेयक के द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार करके उस को अन्डमान और निकोबार द्वीपों तथा चन्द्रनगर पर जो अभी हाल ही में भारत संघ में सम्मिलित हुआ है, लागू करने का विचार है ।

अन्डमान और निकोबार द्वीप अनुसूची के भाग (घ) में सम्मिलित हैं । संविधान के अनुच्छेद २४३ (२) के अनुसार ऐसे किसी राज्य क्षेत्र की शान्ति और सुशासन के लिये राष्ट्रपति विनियम बना सकते हैं । अतः मेरे विचार से संविधान के उपबंधों के अनुसार संसद ऐसे किसी राज्य-क्षेत्र के लिये कोई विधान नहीं बना सकती ।

संविधान में विभिन्न स्थानों पर भाग (क), (ख) तथा (ग) राज्यों के न्याय संबंधी प्रशासन के संबंध में उपबंध हैं । उन को तथा अनुच्छेद २४३ को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि " प्रथम अनुसूची के भाग (घ) में उल्लिखित किसी राज्य-क्षेत्र तथा भारत राज्य-क्षेत्र में समाविष्ट किन्तु उस अनुसूची में अनुल्लिखित किसी अन्य राज्य-क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति करेगा तथा वह इस बारे में उस मात्रा तक, जितनी की वह उचित समझे, अपने द्वारा नियुक्त किये जाने वाले मुख्य आयुक्त या अन्य प्राधिकारी के द्वारा कार्य करेगा ।" इस प्रकार अन्य श्रेणियों के राज्यों तथा भाग (घ) श्रेणी के राज्य-क्षेत्रों में इस संबंध में काफी अन्तर है । अन्य श्रेणी के राज्यों में उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की गई है । पर भाग (घ) के राज्य-क्षेत्रों के संबंध में व्यवस्था उन से भिन्न और उक्त प्रकार की है । अतः मैं समझता हूं कि संसद् इन राज्य-क्षेत्रों पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विस्तार के संबंध में कोई विधान पारित नहीं कर सकती ।

उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में कहा गया है कि ऐसा संविधान के अनुच्छेद २३० के अधीन किया जा रहा है । उस अनुच्छेद में कहा गया है कि

> " संसद् विधि द्वारा किसी उच्च-न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार, जिस राज्य में उस का मुख्य स्थान है, उस से भिन्न प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य में, अथवा उस के भीतर न होने वाले किसी क्षेत्र में कर सकेगी ।"

इस अनुच्छेद का संबंध भाग (क) राज्यों से हो सकता ह, क्योंकि वह

[श्री पाटस्कर]

संविधान के भाग ६ में आता है । मेरे विचार से यह अनुच्छेद भाग (घ) के राज्य-क्षेत्रों पर लागू नहीं किया जा सकता ।

अत: म समझता हूं कि संसद् इस विधि को पारित नहीं कर सकती । कदाचित यह एक एसा विषय ह, जो स्वयं राष्ट्रपति के लिये रक्षित है ।

अध्यक्ष महोदय : उन का तर्क अन्डमान और निकोबार द्वीपों तक सीमित है ।

श्री पाटस्कर : मेरा तर्क चन्द्रनगर पर भी लागू होता है, क्योंकि अब वह भाग (घ) के अन्तर्गत आ जाता है । अभी वह प्रथम अनुसूची के किसी भी भाग में नहीं है । किन्तु चूंकि अब वह भारत का अंग बन गया है, अत: स्वभाविक रूप से वह भाग (घ) के अन्तर्गत आ जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : अनुच्छेद २४३ उस पर लागू नहीं होगा । वह भाग (घ) में नहीं है ।

श्री पाटस्कर : मैं समझता हूं कि अब चन्द्रनगर अनुच्छेद १ (३) (ग) के अन्तर्गत आ जायेगा, और इस प्रकार इस पर भी अनुच्छेद २४३ लागू होगा ।

अध्यक्ष महोदय : क्या चन्द्रनगर अनुच्छेद ३ के खंड (क) के अन्तगत नहीं आ जाता ?

श्री पाटस्कर : मैं समझता हूं कि अनुच्छेद ३ का राज्यों के प्रशासन तथा प्रशासन के लिये विधियां बनाने आदि से कोई संबंध नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि उनके तर्क को अंतिम सीमा तक ले जाया जाय तो उस का अर्थ यह होगा कि अर्जित राज्य-क्षेत्र कभी भी किसी राज्य अथवा उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं रखे जा सकते ।

श्री पाटस्कर : उन को इस प्रकार रखा जा सकता है बशर्ते कि वे किसी भाग 'क' या 'ख' या 'ग' राज्य में सम्मिलित किय जाय ।

अध्यक्ष महोदय : जब संसद् किसी भी राज्यक्षेत्र को भाग 'क' राज्य में मिला सकती है, अथवा यूं कहिये कि जब संसद चन्द्रनगर को पश्चिम बंगाल में मिला सकती है, तो फिर वह चन्द्रनगर में पश्चिम बंगाल के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार क्यों नहीं कर सकती यही बात तो स्पष्ट नहीं है ?

श्री पाटस्कर : जब तक कि चन्द्रनगर को इस प्रकार पश्चिम बंगाल में मिलाया नहीं जाता तब तक अनुच्छेद २४३ लागू होगा । और तब तक केवल राष्ट्रपति ऐसे क्षेत्र का प्रशासन कार्य कर सकते हैं । वही अनुच्छेद २४३ (२) के अनुसार विनियम बना सकते हैं ।

संविधान के अनुसार चन्द्रनगर को पश्चिम बंगाल में मिला देने के बाद तो कोई कठिनाई नहीं रह जाती । पर जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक तो यह कठिनाई रहेगी । यही मेरा निवेदन है ।

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय गृह मंत्री के विचार जानना चाहूंगा ।

डा० काटजू : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में सुसंगत उपबंध सप्तम अनुसूची की संघ सूची की मद ७९ में है । इसी के अन्तर्गत वर्तमान विधेयक आजाता है । मद ७९ में कहा गया है कि "किसी राज्य में मुख्य स्थान रखने वाले किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का

उस राज्य से बाहर किसी क्षत्र में विस्तार....." कलकत्ता उच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल राज्य में है । इस विधेयक का उद्देश्य उस राज्य की सीमा से बाहर के क्षत्रों में, अर्थात् चन्द्रनगर तथा अन्डमान और निकोबार द्वीपों में, कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षत्राधिकार का विस्तार करना है । मेरा निवदन यह है कि जहां तक संसद् के क्षेत्राधिकार का सम्बन्ध है वहां तक यह मद ही पूरा उत्तर ह । म दूसरी बातों को नहीं ले रहा हूं, जैसे कि प्रशासन के प्रयोजनार्थ भी, चन्द्रनगर पश्चिमी बंगाल राज्य का अंग बन सकता है । यह तो पीछे देखा जायगा । आज तो हम यह चाहते हैं कि स्थिति नियमित हो जाय ।

मेरे माननीय मित्र ने भी अनुच्छेद २४३ का उल्लेख किया है उस का सम्बन्ध तो स्पष्ट रूप से प्रशासनीय मामलों से ही है । मैं यह सन्देह नहीं करता—क्योंकि मैं ने इस बारे में पढ़ा नहीं है—कि राष्ट्रपति को इस बात की भी छूट हो सकती है कि वह अपनी ओर से न्यायापालिका की नियुक्ति कर सकें । किन्तु यदि वह यह विचार अपनाते हैं कि न्यायिक आयुक्त की नियुक्ति अथवा कोई अन्य प्रबन्ध करने के बजाय यह अच्छा होगा कि कलकत्ता उच्च न्यायायलय का क्षेत्राधिकार यहां तक बढ़ा दिया जाये, तो केवल यही एक ढंग है जिसे अपनाया जा सकता है । अतएव इस में कोई सन्देह की बात नहीं है कि संसद् इस मामले के लिये विधान बना सकती है :

श्री पाटस्कर : संघ को दिये गये विषयों की सूची में मद ७९ भी है । अनुच्छेद २४६ (१) में संघ के विषयों का उल्लेख है । यदि केन्द्र और राज्यों के बीच कोई सन्देह की बात उठती है तो मद ७९ बीच में आती है । मान लीजिए कि कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा पटना उच्च-न्यायालय के अथवा दो राज्यों के बीच कुछ करता है तो मद ७९ के अनुसार वह राज्य के द्वारा नहीं अपितु केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जायगा ।

मेरा निवेदन यह है कि अनुच्छेद २४६ का सम्बन्ध केन्द्रीय तथा राज्य विधान मंडल के बीच अधिकारों के वितरण से है और यह अनुच्छेद, अनुच्छेद २४३ के स्पष्ट उपबन्धों को प्रभावहीन नहीं कर सकता जब कि इस में यह स्पष्ट है कि इस प्रकार के क्षेत्र के सुशासन के लिए राष्ट्रपति विनियम बना सकते हैं ।

श्री एन० सी० चटर्जी : अनुच्छेद २४५ (१) इस संसद् को भारत वर्ष के किसी भी भाग के लिए विधान बनाने के लिये पूर्ण अधिकार देता है । अन्डमान निकोबार, चन्द्रनगर निश्चिय ही भारत के अंग हैं ।

अतएव संसद् को सूची १ में दिये गये मदों के विषय में किसी भी प्रकार का विधान बनाने की पूर्व स्वतन्त्रता है । अनुच्छेद २४५ में केवल एक ही रुकावट है और वह है "इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार"। यद्यपि विधान बनाने के लिए संसद् सर्वोच्च है किन्तु फिर भी यदि संविधान में कोई विरोधी बात है तो इस का क्षेत्र सीमित हो जाता है । मेरा निवेदन यह है कि संविधान में ऐसी कोई विरोधी बात नहीं है ।

अनुच्छेद २४३ (२) में यह स्पष्ट है कि वह संसद को विधान बनाने, उच्च-न्यायालय को संविहित करने अथवा भारतवर्ष के किसी भी भाग के लिए उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने से नहीं रोकता । केवल यही एक सीमा है कि यदि राष्ट्रपति किसी विनियम को लागू करना चाहते हैं तो उसे संसद् द्वारा बनाये जाने वाले विधानों में संशोधन करने का अधिकार है ।

[श्री एन० सी० चटर्जी]

अतएव इस से विधान बनान को हमारा अधिकार नहीं छिनता ।

श्री एस० एस० मोरे : मेरा निवदन यह है कि अनुच्छेद २४३ में "प्रशासन" का अर्थ कार्य पालिका सरकार से है । इस का निर्देश न्यायिक या विधान सम्बन्धी बातों की ओर नहीं है । राष्ट्रपति के आदेश के अधीन मख्य अयक्त ही मुख्य कार्यपालिका प्राधिकारी होगा । अतएव अनुच्छेद में 'प्रशासन' शब्द कुछ महत्व रखता है । अतएव मैं कहूंगा कि जहां तक कार्यपालिका सरकार का सम्बन्ध है वहां तक राष्ट्रपति ही एक मात्र अधिकारी हैं ,और जहां तक विधान एवं न्यायसम्बन्धी अधिकार की बात है मेरा विश्वास है कि संसद् को विधान बनाने के सम्बन्ध में अनुच्छेद २४३ किसी भी प्रकार से कोई रुकावट नहीं डालेगा ।

जहां तक अनुच्छेद २४३ के उपबन्ध (२) का सम्बन्ध है, यदि तर्क की दृष्टि से हम यह मान लें कि हम कोई विधान बनाते हैं और राष्ट्रपति यह अनुभव करते हैं कि इस में संशोधन करने के लिये वह कोई विनियम बनाये, तो स्वतः ही वह इस बात को मान लेते हैं कि संसद् द्वारा कोई विधान बनाया जाना है जो कि राष्ट्रपति यदि अपने अधिकार का प्रयोग करके संसद् द्वारा बनाये गये विधान के विपरीत कोई विनियम बनाते हैं तो इस में संशोधन हो सकता है । अतएव इस खंड से यह विचार स्पष्ट हो जाता है कि इस संसद् को विधान बनाने का अधिकार है ।

विधि तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री विश्वास) : माननीय मित्र श्री पाटस्कर के तर्क में स्पष्ट हेत्वाभास है । उन्होंने यह मान लिया है कि चूंकि अनुच्छद २४३ का खंड (२) राष्ट्रपति को विनियम बनाने का अधिकार देता है तो स्वतः ही भाग ९ में निर्देशित राज्यों के लिए कोई नियम बनाने का संसद् का अधिकार छिन जाता है । भाग ९ में निर्देशित राज्य अथवा क्षत्र क्या हैं ? वह केवल भाग (घ) राज्य की ओर ही निर्देश नहीं करता । प्रथम अनुसूची में भाग (क) , (ख), (ग) तथा (घ) राज्य हैं । उस में अन्डमान निकोबार टापुओं को भाग (घ) राज्य कहा गया है । चन्द्रनगर भाग (घ) राज्य नहीं है, किन्तु यह तो अर्जित क्षेत्र है अतएव यह "प्रथम अनुसूची में अनिर्देशित क्षेत्रों" के अन्तर्गत आता है । किन्तु अनुच्छेद २४३ के वे उपबन्ध भाग घ राज्य तथा यहां निर्देशित 'अन्य क्षेत्रों" के लिए लागू हैं । जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है मैं कह सकता हूं कि अन्डमान निकोबार तथा चन्द्रनगर में कोई अंतर नहीं है । वे दोनों ठीक एक ही स्तर पर हैं ।

मैं कह सकता हूं कि वास्तव में भूतकाल में भी विनियम बनाये गये थे । उदाहरण के लिये विनियम १,१९५० को ही लीजिये जो राष्ट्रपति ने अंडमान निकोबार टापुओं के लिये बनाया था । वह १ जून १९५० को प्रख्यापित किया गया था, उस विनियम का सम्बन्ध उस क्षेत्र के मुख्य आयुक्त के क्षेत्राधिकार से है । किन्तु यह विनियम अनुच्छेद २३० के उपबन्धों को प्रभाव हीन नहीं करता जिसमें स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने के लिये संसद् को विधान द्वारा अधिकार है । वास्तव में जसा कि मान ीय ।मत्र न स्वतः ही बताया है उद्देश्यों और कारणों का विवरण बिल्कुल ठीक रूप से यह स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद २३० के उबबन्धों के अधीन वर्तमान विधि को बनाना है । नि देह अनुच्छेद २३० भाग ४ में आता है और मेरे माननीय मित्र

सोचते हैं कि क्यों कि भाग ४ का सम्बन्ध केवल भाग क राज्यों से है, अतएव इस अनुच्छेद के अधीन संसद् भाग क राज्यों के अतिरिक्त, किसी अन्य क्षेत्र के लिये विधान नहीं बना सकती ।

यदि राज्य की परिभाषा देखें तो भाग ४ में, अनुच्छेद १५२ में कहा है :—

"यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस भाग में "राज्य" पद का अर्थ प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित राज्य है ।"

मैं माननीय सदस्य की यह बात मानता हूं कि अनुच्छेद २३० भाग (क) के राज्यों पर लागू होता है, किन्तु अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार विधान द्वारा राज्य के बाहरी क्षेत्रों तक बढ़ाया जा सकता है । अतएव उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संसद् द्वारा अंडमान तथा निकोबार टापुओं अथवा चन्द्रनगर तक बढ़ाया जा सकता है । यद्यपि यह अनुच्छेद २३० भाग ४ में भी आता है जहां उसका सम्बन्ध मुख्यत: भाग क राज्यों से है, किन्तु फिर भी इस तथ्य के कारण कि अनुच्छेद २३० में, भाग क राज्यों के बाहरी क्षेत्रों तक उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया जा सकता है, विशेष उपबन्ध किया गया है, अतएव मैं निवेदन करता हूं कि वर्तमान विधान निर्माण बिल्कुल ठीक है। यह बात मेरे मित्र के ध्यान से उतर गई । उन्होंने सोचा कि चूंकि अनुच्छेद २३० भाग ६ में है जिसका सम्बन्ध मुख्यत: भाग (क) राज्यों से हैं अतएव यह अनुच्छेद लागू नहीं होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि इसका सम्बन्ध भाग (क) राज्यों से हैं । किन्तु जब यह कहा जाता है कि भाग (क) राज्यों के बाहरी भागों तक क्षेत्राधिकार बढ़ाया जा सकता है तो उस स्पष्ट उपबन्ध को भी हमें लागू करना चाहिए।

जैसा कि माननीय मित्र श्री एन० सी० चटर्जी ने बताया है कि दूसरा अनुच्छद भी है । अनुच्छेद २४५ संघ सूची में निर्देशित बातों के सम्बन्ध में विधान बनाने के लिये संसद् को पूर्ण अधिकार देता है । मेरे माननीय मित्र गृह कार्य मंत्री ने संघ सूची की विशेष प्रविष्टि का निर्देश कर दिया है जिसका सम्बन्ध इस प्रश्न से है । यदि आप संघ सूची की प्रविष्टि ७९ को देखें और इसकी भाषा की तुलना अनुच्छेद २३० की भाषा से करें तो आपको इन दोनों की भाषा में काफी समानता मिलेगी ।

प्रविष्टि ७९ में कहा गया है :—

"किसी राज्य में मुख्य स्थान रखने वाले किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उस राज्य से बाहर किसी क्षेत्र में विस्तार....."

अनुच्छेद २३० में कहा गया है :—

"संसद विधि द्वारा :—

(क) किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार, जिस राज्य म उसका मुख्य स्थान है.....उसके भीतर न होने वाले किसी क्षेत्र में कर सकेगी ।"

हमारे वर्तमान उद्देश्य के लिये जो शब्द सुसंगत नहीं हैं उनको मैंने छोड़ दिया है, शेष का उदाहरण दिया है । दोनों स्थानों की प्रयुक्त भाषा एक ही सी है ।

मामला तो यह है, अतएव मेरा निवेदन यह है कि यह विधान निर्माण बिल्कुल ठीक है ।

श्री एस० एस० मोरे : 'प्रशासन' शब्द के सम्बन्ध में मैं दो उदाहर और देना

[श्री एस० एस० मोरे]

चाहता हूं। अनुच्छेद ५३ (१) में कहा है कि:—

"संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्र पति में निहित होगी ····· "

अनुच्छेद ७५ में भी कहा है कि मंत्री परिषद् लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी और अनुच्छेद ७७ (१) में कहा है :—

"भारत सरकार की समस्त कार्य-पालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जायेगी।"

सभी स्थानों पर कार्यपालिका को महत्व दिया गया है।

श्री पाटस्कर : मैं इस बात से सहमत हूं कि संविधान के उपबन्धों की व्याख्या इस प्रकार से हो कि संविधान के उद्देश्य की पूर्ति उसमें हो जाये।

अनुच्छेद २४५ तथा अनुच्छेद २४३ (२) में राष्ट्रपति को विनियम बनाने का अधिकार दिया गया है। इसको दृष्टिगत रखते हुए यह विचार किया गया था कि क्षेत्राधिकार नहीं लिया गया है। यदि अनुच्छेद २४३ (२) के अनुसार राष्ट्रपति ा विनियम संसद् के बनाये गये किसी विधान को रद्द कर देता है अथवा संशोधन करता है तो इसका यह तात्पर्य नहीं है कि संसद् विधान नहीं बना सकती।

अनुच्छेद २१४ (१) में यह कहा है कि :—

"प्रत्यक राज्य के लिये एक उच्च न्यायालय होगा"

इसी प्रकार का उपबन्ध भाग ७ में भी है जो कि इस अनुच्छेद को भाग (ख) राज्यों पर लागू करता है।

किन्तु जहां तक उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का सम्बन्ध है वहां भाग (क) राज्यों के सम्बन्ध में अनुच्छेद २१४ में विशेष उपबन्ध किया गया है, और वह उपबन्ध भाग (ख) राज्यों पर भी भाग ७ के एक अनुच्छेद द्वारा लागू होगा।

ाग ८ में भाग ग राज्यों के सम्बन्ध में ऐसा भी प्रबन्ध किया गया है। अनुच्छेद ४१ (१) में कहा गया है :

"संसद् विधान द्वारा प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित किसी राज्य के लिये उच्च न्यायालय गठित कर सकेगी....."

यदि संसद् अनुच्छेद २४५ के अधीन कानून बना सकती है तो अनुच्छेद २४१ की आवश्यकता ही क्या थी ? इस लिये मेरा निवेदन है कि इन सभी अनुच्छेदों को इकट्ठा ही देखना चाहिए। इस से संविधान के निर्माताओं का मंशा स्पष्ट हो जाता है। यदि उनकी इच्छा यह होती कि अनुच्छेद २४५ भाग ग राज्यों पर भी लागू हो तो इस सम्बन्ध में अनुच्छेद २४१ में उपबन्ध करने की क्या आवश्यकता थी ? माननीय विधि मंत्री का कहना है कि अनुच्छेद २३० में जो कुछ दिया गया है उसे देखते हुए ऐसी युक्ति देना ठीक नहीं है। परन्तु यह तो स्पष्ट है कि अनुच्छेद २३० तो केवल भाग क राज्यों के सम्बन्ध में है। इस में यह कहा गया है कि किसी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार ऐसे क्षेत्र पर भी हो सकता है जो उस राज्य में न हो। भाग ख राज्यों के सम्बन्ध में भी ऐसा ही एक उपबन्ध है। परन्तु हम यह कैसे कह सकते हैं कि ये उपबन्ध भाग घ राज्यों पर भी लागू किये जा सकते हैं।

म भी चाहता हूं कि संसद सर्वोपरि रहे परन्तु संविधान उससे भी ऊपर है। यदि

संविधान का मंशा यह है कि इन क्षेत्रों पर प्रशासन राष्ट्रपति का हो, जिन्हें इनके सम्बन्ध में विनियम बनाने का अधिकार दिया गया है, तो यह कसे कहा जा सकता है, कि संविधान के निर्माताओं का विचार था कि संसद् तथा राष्ट्रपति—दोनों ही इस सम्बन्ध में कानून बनायें ?

मेरा निवेदन है कि अनुच्छेद २४३ (२) में "सकेगा" शब्द "बनायेगा" के बराबर ही है, इसलिये यह कानून पास न करना ही अच्छा होगा ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इस विषय पर काफी बहस हो चुकी है । और युक्तियां देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़): माननीय गृह मंत्री द्वारा कही कई बात का उत्तर नहीं दिया गया । उन्होंने यह प्रश्न उठाया कि अनुच्छेद २४३ (२) को देखते हुए संसद् को इस सम्बन्ध में कानून बनान का अधिकार है या नहीं । उन की बात गलत है क्योंकि इस विधेयक द्वारा उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अंडमान व नीकोबार द्वीपों तथा चन्द्रनगर पर भी लागू किया जा रहा है । अनुच्छेद २३० में स्पष्टरूप से यह उपबन्ध किया गया है कि संसद् भाग क राज्य के क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकता है । इसमें संदेह नहीं कि कलकत्ता उच्च न्यायालय भाग 'क' राज्य का है । राष्ट्रपति चाहे भी तो इस क्षेत्राधिकार को बढ़ा नहीं सकता है । वह किसी कानून विशेष को लागू कर सकता है परन्तु उसे कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अंडमान व निकोबार द्वीपों पर लागू करने का बिल्कुल ही कोई अधिकार नहीं है । यह काम तो संघ सरकार ही कर सकती है । इसलिये मेरा कहना यह है कि इस सम्बन्ध में और कोई भी युक्ति संगत नहीं है । हमें तो इस सम्बन्ध में केवल अनुच्छद २३० और मद ७९ को ही देखना है ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम इस विधेयक पर विचार प्रारम्भ करेंगे । मुझ इस पर अपना निर्णय देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री एन० बी० चौधरी : इस विधेयक पर बोलते समय मैं उस संशोधन को ध्यान में रखूंगा जो मुझे सदन में रखना है । मेरे संशोधन का तात्पर्य यह है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाने से पहले जनता की राय ले ली जाय ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

माननीय मंत्री ने कल ही कहा था कि मुकदमेबाज़ अधिक दूर नहीं आ सकते। परन्तु जहां तक अंडमान तथा निकोबार द्वीपों का सम्बन्ध है वहां से तो डेढ़ डेढ़ महीने बाद जहाज आते हैं । इसलिये वहां के मुकदमेबाज़ों को बड़ी कठिनाई होगी । अच्छा तो यह होगा कि उच्च न्यायालय की एक बेंच वहां बैठे ।

जब मैंने इस संशोधन की पूर्वसूचना दी थी तो मेरा तात्पर्य यह कहने का नहीं था कि चन्द्रनगर के लोग यह नहीं चाहते कि कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उन पर भी हो। सच तो यह है कि वे चाहते हैं कि चन्द्रनगर को पश्चिमी बंगाल राज्य के साथ मिला दिया जाय । पिछले दिनों जनमत संग्रह में भी वहां के अधिकांश लोगों ने यही राय प्रकट की थी परन्तु उस के बाद भारत सरकार ने चन्द्रनगर के लोगों की इच्छानुसार कार्य नहीं किया है ।

पिछले दिनों चन्द्रनगर की नगरपालिका के चनावों में खड़े होने वाले सभी उम्मीदवारों

[श्री एन० बी० चौधरी]

ने अपने नाम वापस ले लिये थे। यदि उनका विचार वहां के अधिकारियों को परेशान करने का न होता तो वे ऐसा कभी नहीं करते। इसलिये मेरा विचार है कि वहां के लोगों की राय इस सम्बन्ध में ले लेनी चाहिए।

भारत संग में चन्द्रनगर का क्या स्थान हो, इसका निर्णय करने के लिये आयोग बना हुआ है। पता नहीं उसने अपना काम शुरू भी किया या नहीं। इस लिये अन्तरीम काल में सरकार को वहां के प्रतिनिधियों की बात तो अवश्य सुन लेनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अभी तक भारत के सारे कानून चन्द्रनगर पर लागू भी नहीं हुए तो इस स्थिति में वहां पर कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार लागू करना कहां तक उचित है? इससे पहले तो वहां वे कानून लागू करने चाहिए जो वहां के लोग चाहते हैं।

यह संशोधन रखने में मेरा तात्पर्य यह है कि सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया जाय कि वह चन्द्रनगर के सम्बन्ध में कोई निश्चय करने से पहले वहां के लोगों से परामर्श करे।

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर) : इस विधेयक का उद्देश्य किसी हद तक चन्द्र नगर और निकोबार व अण्डमान द्वीप के लोगों की स्थिति को सुधारना है, अतः मैं इस का समर्थन करता हूं। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि चन्द्रनगर पर इस कानून का क्या प्रभाव पड़ेगा क्योंकि कई मामलों में जो कलकत्ता उच्च न्यायालय के सामने आये ह, न्यायालय को इस बात में संदेह रहा है कि उसे चन्द्रनगर पर कोई अधिकार है भी या नहीं। परन्तु यदि इस विधेयक का तात्पर्य यह है कि अपील आदि सभी बातों के सम्बन्ध में कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार चन्द्रनगर पर लागू होगा तो मैं इसका हार्दिक स्वागत करूंगा।

* * * * * * * * *

मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के पास बहुत से मुकदमे इकट्ठे हो गये हैं। उसका क्षेत्राधिकार बढ़ जाने से यह संख्या और भी बढ़ जायेगी। देश की न्यायिक व्यवस्था में सुधार न किया गया तो इस विधेयक का कोई लाभ न होगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि नियमों में ऐसा उपबन्ध किया जाय कि इन क्षेत्रों की अपीलें आदि जल्दी जल्दी सुनी जा सकें। दूसरी बात यह है कि निकोबार और अण्डमान पर भी इस के लागू होने से इस न्यायालय का एक संकट न्यायालय वहां बैठना चाहिये। कम से कम साल में एक बार यह न्यायालय वहां बैठे क्योंकि वहां से भारत आने जाने की कठिनाइयां बहुत अधिक हैं।

* * * * * * * * *

श्री एन० सी० चटर्जी : सन् १९२१ तक अण्डमान में अपराधी भेजे जाते थे। उस वर्ष से यह प्रणाली बन्द कर दी गई और पिछले ३२ वर्ष में इसका इतना विकास हुआ है कि सभ्य लोगों की न्यायिक व्यवस्था वहां लागू होने वाली है। इसलिए हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं। मेरे माननीय मित्र श्री बसु का यह कहना ठीक है कि वहां से भारत आने जाने में बडी कठिनाइयां है। इस विधेयक का लाभ अण्डमान के लोगों को तभी हो सकता है जब कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वहां दौरे पर जायं और सरकार

* * *सभापति महोदय के आदेशानुसार ये शब्द हटा दिये गये।

इस बात का प्रबन्ध करे कि वादी प्रतिवादी लोग न्यायालय तक आसानी से पहुंच सकें ।

चन्द्रनगर के सम्बन्ध में स्थिति अभी तक असंतोषजनक है । वहां के लोग एक तरह का कम्यून चाहते हैं । वे लोग फ्रेंच शासन के अधीन रहे है और उन्हें वैसी ही व्यवस्था की आशा है । कम्यून प्रणाली के अधीन, नगरपालिकाओं को उस से कहीं अधिक स्वतंत्रता होती है जो कि हमारी नगरपालिकाओं के अधिकारों से बहुत अधिक है ।

यह बड़ी अजीब बात है कि एक जिला न्यायाधीश चन्द्रनगर में है परन्तु अभी तक उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार वहां पर नहीं था। उच्च न्यायालय को इस बात का विश्वास नहीं था कि वह वहां के मामलों को सुन कर कोई आदेश दे सकता है या नहीं । वहां के लोगों को उच्च न्यायालय बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के अधीन लाया जाना चाहिये । इससे वहां के लोगों को लाभ पहुंचेगा । श्रीमान्, मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं । मेरा विश्वास है कि यह चन्द्रनगर की जनता के लिये हितकारी सिद्ध होगा और साथ ही अण्डमान और निकोबार द्वीपों में बसने वाली आदिम जातियों के लिये भी यह लाभप्रद होगा । यह विधेयक इसलिये भी आवश्यक है कि अधिकांश शरणार्थी पूर्वी बंगाल से निकल कर उक्त द्वीपों में बस गये हैं । इस दृष्टि से भी विधेयक आवश्यक है ।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, ...

उपाध्यक्ष महोदय : यह छोटा सा विधेयक है अतः माननीय सदस्य संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करें ।

श्री एस० सी० सामन्त : जी हां, श्रीमान । मैं भाषण में संक्षेप से ही काम लूंगा । मैं प्रस्तुत विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं । कल हमने ट्रावनकोर कोचीन उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक पारित किया था । उक्त वाद विवाद के दौरान में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि जहां कहीं भी स्थान उपलब्ध है वहां उच्च न्यायालय की सरकिट बैंच अथवा डिवीजन बैंच की व्यवस्था की जा सकती थी । श्रीमान, कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का अण्डमान और निकोबार तक विस्तार करने के मामले में स्थान का प्रश्न हमारे लिये चर्चा का मुख्य विषय बन गया है । भूमि मार्ग द्वारा हम अण्डमान और निकोबार द्वीपों में नहीं पहुंच सकते हैं । वायु मार्ग भी नहीं है । केवल सागर के माध्यम से ही हम वहां जा सकते हैं । कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार विस्तृत करते समय हमें वहां किसी उपयुक्त भवन का प्रबन्ध करना चाहिये । स्टीमरों की संख्या वृद्धि भी अत्यंत अपेक्षित है । विमान यातायात अविलम्ब ही प्रारम्भ कर देना चाहिये क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हम एक सुन्दर स्थान पर उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार विस्तार कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह इन द्वीपों के निवासियों की अवस्था में सुधार करने के लिये अन्य आवश्यक कार्य भी करे ।

डा० काटजू : उपाध्यक्ष महोदय ! वाद विवाद में उठाये गये कतिपय प्रश्नों के सम्बन्ध में मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं । जहां तक चन्द्रनगर का सम्बन्ध है हमारा तात्पर्य कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार चन्द्रनगर में करने वाले विधेयक से ह । यह विषय सर्वथा स्पष्ट है । किन्तु एक भिन्न विषय अर्थात् मंत्रि-कार्यों पर जनता के नियंत्रण की इच्छा की ओर निर्देश किया गया था । सदन को मालूम है कि इस विशिष्ट प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

[डा० काटजू]

सरकार ने डा० अमरनाथ झा का एक सदस्यीय आयोग इस विषय की जांच करने और जनता के अभ्यावेदन को प्राप्त कर हमारे पास प्रतिवेदित करने के लिये नियुक्त किया है । वह आयोग इस आशय की सिफारिश करेगा कि चन्द्रनगर के भावी प्रशासन के सम्बन्ध में कौन से उचित कार्य किये जाने चाहिये ।

न्यायायिक प्रशासन के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यह विषय कदापि वाद विवाद के योग्य नहीं है । इसका कारण स्पष्ट है । जहां तक अण्डमान और निकोबार द्वीपों का सम्बन्ध है मैं यह अनुभव करता हूं कि न्याय प्रशासन गृह के समीप ही होना चाहिये । किन्तु वर्तमान में मैं नहीं जानता हूं कि देश के इस भाग में किस अंश में मुकदमेबाजी होती है । जहां तक क्षेत्राधिकार का सम्बन्ध है भले ही एक मुकदमा हो अथवा आधे दर्जन मुकदमें हों, यह आवश्यक है कि क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिये समुचित व्यवस्था हो । उस स्थान पर सर्किट कोर्ट हो अथवा नहीं यह इस बात पर निर्भर है कि उपलब्ध परिस्थितियां अर्थात् मुकदमे बाजी का परिमाण, उस का स्वरूप और न्यायाधीशों के वहां रहने की अवधि आदि कितनी और कैसी है । अन्यथा मैं बीस, तीस या चालीस वर्ष पूर्व की अवस्थाओं की कल्पना कर सकता हूं जब कि न्यायिक आयुक्त का कार्य पत्र व्यवहार से होता था यदि किसी व्यक्ति का अण्डमान और नीकोबार में कोई मुकदमा होता था तो सम्भवतः वह उच्च न्यायालय में अपना मामला रखने के लिये किन्हीं वकीलों अथवा अभियोगजीवियों की सेवायें प्राप्त करता था । न्यायिक आयुक्त का समस्त कार्य पत्र व्यवहार द्वारा ही किया जाता था । अतः उक्त द्वीपों से सम्बंधित विषय की समस्त जानकारी प्राप्त हो जाने पर ही मुख्य न्यायाधिपति उस पर विचार कर सकते थ । मुझे यह जान कर बड़ी प्रसन्नता है कि सभी पक्षों ने विधेयक का स्वागत किया है । इस तरह के विधेयकों में यह अनुभव दुर्लभ ही रहता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कलकत्ता के न्यायालय के क्षेत्राधिकार को चन्द्रनगर और अण्डमान तथा नीकोबार द्वीपों तक विस्तृत करने के विधेयक पर, जिस रूप में वह राज्य परिषद द्वारा पारित किया गया है, विचार किया जाय "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १ से ४, नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बना लिये गये ।

डा० काटजू : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि विधेयक को पारित किया जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पशु आयात (संशोधन) विधेयक

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पशु आयात अधिनियम, १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने के विधेयक पर, जिस रूप में वह राज्य परिषद द्वारा पारित किया गया है, विचार किया जाये ।"

यह अत्यंत सरल विधेयक है । संशोधन की आवश्यकता एक ही कारण से पड़ी है कि विमान द्वारा पशुओं को लाने की संभावना है । जहां तक विमान द्वारा पशुओं के आयात

का सम्बन्ध है वर्तमान अधिनियमों में इसके लिये कोई उपबन्ध नहीं है । इसी सम्भावना की व्यवस्था और विमान द्वारा पशुओं को लाने के सम्बन्ध में उपबंध समाविष्ट करने के लिये प्रस्तुत विधेयक रखा गया है । प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि वायु मार्ग द्वारा यातायात में तीव्र वृद्धि हो रही है और विमान द्वारा पशु ले जाने के अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं । मैं नहीं सोचता कि इस विधेयक पर कोई आपत्ति हो सकती है । यह बहुत ही सरल विधेयक है और राज्य-परिषद ने इसे बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया है ।

श्री रघवय्या (ओंगोल) : श्रीमान हमें यह जानकर अतीव प्रसन्नता है कि राज्य परिषद ने प्रस्तुत विधेयक बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया । मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मल अधिनियम —१८९८ के अधिनियम से क्या अनुभव प्राप्त हुआ है । उस के वास्तविक परिणाम क्या हैं ? विधेयक पर आरम्भिक भाषण में मंत्री महोदय ने कुछ नहीं कहा है । उन्होंने इसमें विमान द्वारा आयात क्यों सम्मिलित किया है ? केवल इस आधार पर कि इसे राज्य परिषद ने बिना एक भी संशोधन किये पारित कर दिया है आश्चर्य है कि किसी निश्चित नीति के प्रतिपादन के अभाव में उसे यहां भी पारित कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

अतः श्रीमान्, मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी सदन को आरम्भिक विधेयक की कार्यप्रणाली से परिचित करेंगे ।

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : श्रीमान, मुझे अधिक नहीं कहना है । मैं माननीय मंत्री जी से यह आश्वासन चाहता हूं कि अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ही विमान यातायात का आश्रय लिया जायेगा । आजकल हम देखते हैं कि आवश्यकता हो अथवा नहीं किन्तु विदेशों को यात्री बड़ी संख्या में विमान द्वारा जा रहे हैं । इस तरह लोक राज्य-कोष का बहुत द्रव्य नष्ट होता है । हमारी इच्छा है कि इस निरर्थक ढंग से विमान यात्रा पर आश्रित नहीं होना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : संक्रामक रोगों की वृद्धि रोकना ही प्रस्तुत विधेयक का उद्देश्य है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : यद्यपि विधेयक का उद्देश्य स्वागत योग्य है किन्तु समझ में नहीं आता कि उसमें यह क्यों कहा गया है :

"यह जम्मू और काशमीर को छोड़ कर सारे भारतवर्ष में लागू होता है ।"

जम्मू और काशमीर भारत का ही भाग है; फिर मेरी समझ में नहीं आता कि इसे जम्मू और काशमीर पर लागू करने में क्या रुकावट थी । जहां तक विदेशी वस्तुओं के आयात का सम्बन्ध है वह भारत में सम्मिलित है ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : श्रीमान्, मुझे अधिक नहीं कहना है । यह एक साधारण संशोधन है । जब १८९८ में मूल अधिनियम बनाया गया था उस समय विमान यातायात नहीं था और ऐसी ही सम्भावना की गई थी । मूल अधिनियम में यह उपबन्ध था कि जल अथवा थलमार्ग से आने वाले पशुओं के सम्बन्ध में हम यह मालूम कर सकते थे कि क्या वे संक्रामक रोगों से पीड़ित हैं । हम उन्हें निरोधा (क्वेरन्टीन) में रखकर एक निश्चित अवधि के बाद बिदा कर देते थे । हाल ही में वायुयान द्वारा संक्रामक रोग से पीड़ित पशु लाये गये थे । उदाहरणार्थ गत वर्ष विमान द्वारा सात कुत्ते आये थे और उन में से कुछ संक्रामक बीमारी के शिकार थे ।

[श्री एम० वी० कृष्णप्पा]

इस सम्भावना की पूर्ति के लिये ही प्रस्तुत संशोधन रखा गया है ।

उपाध्यक्ष ने संशोधन रखा जो स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १ से ४, नाम और अधिनियम विधेयक के अंग बना लिये गये ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

छावनी (संशोधन) विधेयक

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि छावनी अधिनियम, १९२४ में अग्रेतर संशोधन करने के विधेयक पर, जिस रूप में वह राज्य परिषद् के द्वारा पारित किया गया है, विचार किया जाये ।"

मैं संक्षेप में विधेयक के उद्गम पर प्रकाश डालूंगा । सन् १९४८ में स्वायत्त शासन मंत्री-परिषद् ने यह संकल्प पारित किया था कि सम्बंधित प्रान्तीय सरकारों के परामर्श से छावनियों के परिसमापन के प्रश्न की जांच के लिये एक समिति की नियुक्ति करे । उस के परिणामस्वरूप १९४९ में इस प्रश्न का अध्ययन करने के लिये श्री एस० के० पाटिल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई । समिति ने नवम्बर, १९५१ में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की जिन पर यथासमय विचार किया गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त मतों में प्राय: विधेयक का समथन किया गया है । प्रवर समिति ने ो साधारण संशोधनों का सुझाव रखा और प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में राज्य परिषद् द्वारा विधेयक पारित कर दिया गया ।

इस तरह सदन को यह ज्ञात होना चाहिये कि प्रस्तुत विधेयक पर जनता के समर्थन की ही मुद्रा अंकित नहीं है अपितु एक प्रतिनिधि सभा की भी मुहर और स्वीकृति के पश्चात् वह यहां उपस्थित किया गया है ।

यह असंदिग्ध सत्य है कि विधयक छावनियों की समस्याओं को हल नहीं करता है । अधिनियम की रचना में सुधार करने की दृष्टि से साधारण प्रकार के कतिपय संशोधन करना ही इसका प्रयोजन है :विधेयक का विधेयक उस के यथार्थ उपबन्धों के सम्बन्ध में नहीं किन्तु उस के क्षेत्र के सम्बन्ध में पैदा हुआ है और यह कहा गया है कि विधेयक प्रजातन्त्रीकरण की समस्या पूरा करने की सुन्दूर सीमा तक नहीं गया है । विधयक के सम्बन्ध में मुख्य आपत्ति यह है कि यह प्रजातन्त्रीकरण की व्यवस्था नहीं करता है और यह छावनी बोर्डों में सम्पूर्ण नगर शासन को निहित नहीं करता है ।

प्रजातन्त्रीकरण के प्रश्न पर स्थानीय स्वायत्त शासन मंत्री-परिषद् ने १९४८ में स्पष्ट रूप से यह अनुभव किया था कि सेना के स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से, जिन स्थानों पर सेना रहती है वे सैनिक अधिकारियों के नियंत्रण में होने चाहियें । पाटिल समिति का यह विचार था कि छावनियां मूलत: सैनिक केन्द्र हैं, वे असैनिक नगर नहीं हैं और छावनियों को भविष्य की दृष्टि से, जहां तक संभव हो देश के राजनीतिक, आर्थिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य के पहलुओं पर

विचार करते हुए–सैनिक केन्द्रों के मौलिक रूप को अक्षुण बनाये रखना चाहिये ।

यह भी उल्लेखनीय है कि पाटिल समिति ने विशेष रूप से यह उल्लेख किया था कि छावनियों की असैनिक आबादी में बहुधा ऐसे व्यक्तियों का बहुमत है जो अपने स्थानान्तरण से आशंकित हैं और अखिल भारत छावनी संस्था द्वारा सुझाये गये परिवर्तनों के घोर विरोधी हैं ।

मैं ने जनतंत्रीकरण के बारे में सरकार की नीति राज्य-परिषद् में स्पष्ट कर दी है और मैं यहां उस की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता । वास्तव में प्रचलित प्रणाली का एक लाभ यह है कि सेना और नागरिक जनसंख्या से प्रतिनिधि मिल कर एक सांझा काम करते हैं अर्थात् उस क्षेत्र का दोनों के हित में प्रशासन करते हैं । मैं यह नहीं समझ सकता कि माननीय सदस्यों की यह धारणा क्यों है कि सरकार या सैनिक प्रतिनिधियों की संख्या अधिक होने के कारण दोनों के हितों में संघर्ष होना स्वाभाविक है । सरकारी बहुसंख्या के छावनी बोर्ड बनाने को औचित्य यह है कि इन क्षेत्रों में जिन में अधिक महत्व सेना या सैनिक जनसंख्या के हितों का हो, इन बोर्डों का ऐसा विधान नहीं होना चाहिये, जिस से कि सैनिक जनसंख्या वस्तुतः मताधिकार से वंचित रह जाये या इन क्षेत्रों में सेना के विशेष हितों को उन लोगों को सौंप दिया जाये जिन्हें सेना के बारे में अधिक ज्ञान नहीं है ।

इस आलोचना के बारे में कि छावनी बोर्डों का प्रशासन जनतन्त्रात्मक नहीं होगा और यह लोगों के हितों का पर्याप्त ध्यान नहीं रखेगा, मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या इस सदन में और सरकार में लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के होते हुए, इन निकायों के प्रशासन में जनतन्त्रात्मक प्रक्रिया और उत्तरदायित्व की उपेक्षा संभव है ।

जहां तक मैं समझ सकता हूं इस समस्या का एकमात्र हल यह है कि भौगोलिक, प्रशासनीय और लोक स्वास्थ्य के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इन छावनियों में से अधिक से अधिक क्षेत्र निकाल लेना चाहिये और छावनी बोर्ड के अधीन नगर क्षेत्र समिति को अधिक से अधिक स्वायत्तता देनी चाहिय ताकि उन क्षेत्रों में जहां असैनिक जन संख्या बहुत घनी बसी हुई हो, यह नगरपालिका मामलों में अपना प्रशासन स्वयं कर सके । किन्तु इन नगर क्षेत्र समितियों के पास छावनी बोर्डों से अधिक अधिकार नहीं होने चाहियें ।

क्षेत्र निकालने के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि रिपोर्ट अब पटल पर है और मैं इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय करूंगा : इस कार्य के हो जाने के बाद जब हमें काफी अनुभव प्राप्त हो जायेगा यदि हम ने देखा कि स्थिति में और सुधार किया जा सकता है, तो मुझे इस प्रयोजन के लिये एक व्यापक विधेयक उपस्थित करने में कोई संकोच न होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री गाडगिल (पूना मध्य) : मैं समझता था कि स्वतंत्रता के पश्चात् छावनियों के प्रशासन में कुछ परिवर्तन होगा । किन्तु मुझे बहुत निराशा हुई है । दुनिया की सब चीजें बदल गई हैं, किन्तु सैनिक प्रशासन का वह भाग, जिस का सम्बन्ध छावनियों से है जरा भी नहीं बदला । मेरे माननीय मित्र ने अपने भाषण में कहा है कि : 'यदि प्रशासन ठीक तरह से किया जाता है तो सरकारी बहुमत पर क्या आपत्ति की जा सकती है" । ब्रिटिश सरकार का भी बिल्कुल यही रवैया था : यदि यही सरकार कार्यकुशल है, तो आप स्वायत्त शासन क्यों चाहते है ? मेरा उत्तर यह है कि छावनी क्षेत्रों में भी अच्छी या कार्यकुशल सरकार स्वायत्त सरकार की बराबरी नहीं कर सकती ।

[श्री गाडगिल]

मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि पाटिल समिति ने छावनी सम्बन्धी सब मामलों की जांच की थी और उस ने कहा था कि असैनिक जनसंख्या में कुछ लोग ऐसे हैं, जो कोई परिवर्तन नहीं देखना चाहते। किन्तु मैं बतला सकता हूं कि पाटिल समिति तथा स्थानीय स्वायत्त शासन मंत्रियों के सम्मेलन का यह सुझाव नहीं था कि जनतंत्रीकरण नहीं होना चाहिये। इस समिति में छावनियों के निवासियों का एक भी प्रतिनिधि नहीं था। यद्यपि मैं उस समय मंत्री था और मैं ने बहुत कोशिश की कि अखिल भारत छावनी संस्था का एक प्रतिनिधि इस समिति में लिया जाये; फिर भी सेना प्राधिकारियों ने यह स्वीकार नहीं किया। यह समिति तीन साल तक चर्चा करती रही किन्तु इस ने एक छावनी का भी दौरा नहीं किया और इस ने छावनी क्षेत्रों के एक भी प्रतिनिधि से भेंट नहीं की। और इस ने जो सिफारिशें की हैं, यदि उन की बहुत कटु आलोचना की जाये, उन्हें प्रतिक्रियावादी बहुत आसानी से कहा जा सकता है। छावनियों की समस्यायें तीन विषयों के सम्बन्ध में हैं छावनी बोर्डों का संगठन; कार्यपालिका के अधिकार, कार्यक्षेत्र और कृत्य और भूमि समस्या भूमि समस्या के सिवाय शेष को वैसे का वैसा ही रहने दिया गया है। मैं पूछता हूं कि छावनियों में रहने वाले १८ लाख से अधिक लोगों ने क्या पाप किया है। कि उन्हें नगरपालिका सम्बन्धी मामलों में स्वायत्त शासन नहीं दिया जाता।

छावनियों के कारण इन क्षेत्रों के प्रगति और विकास में निश्चित रूप से बाधा पड़ी है। हमें बार बार बतलाया जाता है कि सेना के हितों का महत्व सब से अधिक है और सैनिक देशभक्त हैं। इस से किसी को इन्कार नहीं। मैं तो यह कहता हूं कि छावनी सम्बन्धी सैनिक प्रशासन पहले की तरह अब भी प्रतिक्रियावादी है। संभवतः सेना प्राधिकारी अधिक अधिकार इसलिये चाहते हैं कि वे कम से कम इन ५६ छोटे छोटे राज्यों में तो छोटे मुगल बन जायें।

मैं यह समझता हूं कि उन के उसी क्षेत्र में या उस के आस पास होने के कारण नगरपालिका के प्रशासन का स्तर यथेष्ट होना चाहिये। यह सब स्वीकार कर लिया गया है। परन्तु सेना उस छावनी बोर्ड को क्यों न दी जाये जो स्वयं व्यक्तियों द्वारा निर्वाचित किया जाये। यदि आप की इच्छा हो तो आप बोर्ड में सेना के दो या तीन प्रतिनिधियों को रख सकते हैं। इस के अतिरिक्त, किसी भी निश्चय को स्थगित करने का सामान्य अधिकार आप के पास है। आप इस बात पर भी आग्रह कर सकते हैं कि कुछ मामलों में, सेना अधिकारियों की अनुमति प्राप्त किये बिना कोई बात कार्यान्वित नहीं की जानी चाहिये।

प्रथम बार जब यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया था उस समय मैं रक्षा मंत्री, श्री गोपालास्वामी आयंगर, के पास गया था और उन से कहा था कि मेरा सम्बन्ध छावनी से सम्बद्ध मामलों से रहा है। मैं ने उन्हें सुझाव दिया कि जनता का मत जानने के लिये इसे परिचारित किया जाये। प्राप्त सूचनाओं से विदित होता है कि छावनी सम्बन्धी मामलों में रुचि रखने वाला प्रत्येक साधारण जन इस के विपक्ष में है। परन्तु हम से कहा जाता है कि जनता इस विधेयक को चाहती है: मेरा निवेदन यह है उस समस्या पर विचार करने का यह ढंग नहीं है। जिस का सम्बन्ध १९ लाख व्यक्तियों तथा लगभग दो करोड़ रु० के व्यय से हो।

उपरोक्त कथित संस्था की सिफारिशों में कहा गया है कि हरिजनों तथा मजदूरों

को विशेष प्रतिनिधित्व देना चाहिये । १९३६ में हम ने भरसक प्रयत्न किया कि मुसलमानों के लिये पृथक् निर्वाचक मंडल न रखे जायें, और केवल वही एक अधिनियम था जिस में मताधिकार सामान्य था । और धर्म तथा सम्प्रदाय के आधार पर नहीं था । अब वह यह उसी चीज का यहां प्रवेश करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें भय है कि यदि यह जनतन्त्रीय संस्था बन गई तो कम से कम उन्हें इन दोनों को तो अपने पक्ष में रखना चाहिये ।

छावनियों में हरिजनों के संग बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है । फिर भी छावनी प्राधिकारी विशेष सुविधाओं की बातें करते हैं। आप मुझे कोई भी ऐसी छावनी का उदाहरण दें जहां उन्हों ने अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा आरम्भ की है । इस के अतिरिक्त उन्हों ने असैनिक जनता को क्या सुविधायें दी हैं ? कुछ नहीं समस्त कर असैनिक जनता देती है और फिर भी पूर्ण सत्ता सैनिक अधिकारियों के हाथ में है। मैं ने कहीं भी और कभी ऐसा उदाहरण नहीं देखा है ।

अब प्रश्न यह है कि ये सैनिक कार्यपालिका अधिकारी क्या शक्तियां चाहते हैं । प्राचीन काल में वे दण्डाधीश होते थे । परन्तु अंधेर होने के कारण यह अधिकार उन से छीन लिया गया था । अब वे फिर दण्डाधीश के समान शक्तियां चाहते हैं। इस विधेयक के खण्ड २४ में इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये उपबन्ध रखा गया है ।

युद्धकाल में अर्जित की गई भूमि के संबंध में मुझे हर्ष है कि एक प्रतिवेदन शीघ्र ही सदन पटल पर रखा जायेगा और ये भूमि या तो अधिसूचित क्षेत्र बना दी जायेंगी और या पास की नगर पालिका में सम्मिलित कर दी जायेगी ।

छावनी में कोई भी व्यक्ति भूमि का स्वामी नहीं बन सकता है । क्योंकि हम वहां सम्पत्ति के सम्बन्ध में निश्चिन्त कभी नहीं रह सकते हैं । १९४७ के पश्चात् भूधारण प्रणाली के प्रशासन में कुछ सुधार हुआ है, क्योंकि व्यक्ति यहां आते हैं और अपनी कठिनाई बताते हैं । कभी उन की शिकायतों की जांच की जाती है और उन की कठिनाइयां को दूर कर दिया जाता है परन्तु विचार करने की बात तो यह है कि प्रशासकीय विभाग कैसे कार्य करेगा । प्रत्येक कठिनाई को दिल्ली आ कर दूर कराने की प्रणाली दोषयुक्त है । मेरा निवेदन यह है कि आप इन छावनियों को स्वशासित बना दें । यदि छावनी या उस के पास की किसी बात का सैनिकों पर कुप्रभाव पड़े तो मुख्य संस्था के साधारण नियंत्रण के अधीन तत्काल ही उसे प्रशासित करने की उन्हें अनुमति होनी चाहिये ।

मैं माननीय उप मन्त्री को एक सुझाव दूंगा कि असैनिक क्षेत्र समिति फिर स्थापित की जाये और उसे स्वशासन के पूर्ण अधिकार दिये जायें । मैं ने अथवा और किसी ने यह दावा कभी नहीं किया है कि इस अधीनस्थ संस्था का पैत्रिक संस्था की अपेक्षा अधिक नियंत्रण होना चाहिये । क्योंकि स्वयं माननीय मंत्री ने सुझाव दिया है कि इस का हल यह होगा, इसलिये यह अभी क्यों न किया जाये ? इस प्रकार हमें इस मामले में उन की सच्ची भावना का अनुभव करने दीजिये । इन असैनिक क्षेत्र समितियों को कुछ स्वशासन अवश्य दिया जाना चाहिये, तथा इस के लिये आप को किसी घटना के होने अथवा एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत होने तक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये ।

मेरे विचार में यह सम्भव न होगा कि वह व्यापक विधेयक शक्ति से कम में पुरः स्थापित हो कर दोनों सदनों द्वारा पारित हो जायेगा । अतः असैनिक क्षेत्र समितियों को

[श्री गाडगिल]

फिर पूर्ण स्वशासन देने की आप को तत्काल ही घोषणा कर देनी चाहिये ।

श्रीमान्, मुझे अत्यन्त खेद है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भी, जब कि हम लोकतन्त्रात्मक होने का प्रयत्न कर रहे हैं और इस बात पर जमे हुए हैं बर्ताव लोकतन्त्रात्मक हो, यह स्थिति विद्यमान है । प्रधान मंत्री के यह कहने पर कि यह लोकतन्त्र है हम ने दिल्ली को, सारे विदित अन्य संविधानों के उपबन्धों के विरुद्ध भी, एक राज्य बना दिया था । परन्तु इन ५६ क्षेत्रों से उन के अपने मामलों से, लोकतन्त्रात्मक नियंत्रण क्यों छीना जाता है, मुख्यकर इस स्थिति में जब वे यह स्वीकार कर चुके हैं कि यह सैनिक अधिकारियों के साधारण नियंत्रण के अन्तर्गत होना चाहिये ।

श्री बंसल (झज्जर-रिवाड़ी) : श्रीमान्, मैं समझता हूं कि जिस रूप में माननीय उप-मंत्री ने भाषण दिया वह अपमानजनक था । क्योंकि मैं एक छावनी का निवासी हूं ।

श्री एन० एम० लिंगम (कोयम्बटूर) : क्या मैं उस छावनी का नाम जान सकता हूं ।

श्री बंसल (रानीखेत) : मैं वह सब जानता हूं जो एक छावनी प्रशासन व्यक्तियों की स्वतन्त्रता की भावना के लिये कर सकता है । परन्तु, श्रीमान्, छावनी में सैनिक अधिकारियों का बड़ा आतंक होता है । माननीय मंत्री के मुझे यह बताने से कोई लाभप्रद उद्देश्य सिद्ध न होगा कि हम स्वतन्त्र हो गये हैं अतः छावनी बोर्ड लोकतन्त्रात्मक हो रहे हैं और हमें उन में विश्वास रखना चाहिये ।

श्रीमान्, मुझे रानीखेत से एक सज्जन का पत्र प्राप्त हुआ था । उस में उन्हों ने कहा था कि रानीखत के असैनिक मामलों पर विचार विमर्श करन के लिये एक बैठक २४ अक्तूबर १९५२ को हुई थी । असैनिक बच्चों के लिये खेल के मैदानों के सम्बन्ध में वहां के ओ० सी० (आफिसर कमांडिंग) ने एक संसद् सदस्य पर संसद् के प्रश्न पूछने का आरोप लगाते हुए कहा था कि "रानीखेत में परेड के कुछ मैदानों के अतिरिक्त खेल के कोई मैदान नहीं हैं । उन्हों ने यह भी कहा कि मैं ने यही उत्तर, संसद् में पूछे गये प्रश्न का भेज दिया है । अब उन्हें कहने दीजिये । कि क्या कहते हैं ।" इस पत्र को पा कर मैं रक्षा मंत्री के पास गया जो दुर्भाग्यवश यहां उपस्थित नहीं हैं । श्रीमान्, इस बात पर मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं । क्या यह उचित है कि जब हम ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर विचार विमर्श कर रहे हैं, संबंधित मंत्री महोदय जो इस सदन तथा कैबिनेट के प्रति उत्तरदायी हैं, यहां उपस्थित न हों ?

सरदार मजीठिया : क्या आप के कहने का अभिप्राय यह है कि उप-मंत्री उत्तरदायी नहीं है ?

श्री बंसल : उप-मन्त्री कैबिनिट का सदस्य नहीं है, अतः वह कैबिनिट के प्रति उत्तरदायी नहीं है । कुछ समय से हम यह देख रहे हैं कि महत्वपूर्ण विधेयक उप-मन्त्रियों द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं और उन के द्वारा ही उन पर विचार विमर्श किया जाता है । श्रीमान्, मैं चाहता हूं कि आप इस सदन की भावना की ओर ध्यान दें कि क्या यह रीति उचित है । जब हम यहां विधेयक पर विचार विमर्श कर रहे हैं, तो कोई मंत्री जो कैबिनेट के प्रति उत्तरदायी हो यहां होना चाहिये तथा वह हमारे प्रश्नों आदि का उत्तर दें तथा इस सदन के प्रति उत्तरदायी हों ।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : उन्हों ने एक औचित्य प्रश्न उठाया था । इस का निश्चय होना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक दिया हुआ सुझाव औचित्य प्रश्न नहीं होता ।

श्री वी० जी० देशपांडे : मैं एक औचित्य प्रश्न पर खड़ा होता हूं कि जब किसी विधेयक पर विचार विमर्श हो रहा है । उस समय केबिनिट के प्रति उत्तरदायी मंत्री को उपस्थित होना चाहिये । इस प्रश्न पर अपना निर्णय देने के लिये मैं आप से सविनय निवेदन करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन की यह इच्छा तो मेरे समझ में आती है कि सदन में पूर्ण तथा उचित सूचना दी जानी चाहिये और जब कभी भी किसी विधेयक पर वार्ता हो रही हो उस समय उन व्यक्तियों को सदन में होना चाहिये जो अधिकार के साथ बोलने की सामर्थ्य रखते हैं । यह प्रश्न एक बार पहिले भी उठाया गया था । अतः इस के पूर्व कि सदन कोई निश्चय कर सके, यह ठीक ही है वे मन्त्री से उन सारे प्रश्नों के उत्तर पाने की आशा करते हैं जो यहां किये जाते हैं । मैं सरकार तथा सारे मंत्रियों से आग्रह करूंगा कि जब कभी कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाये वे सदन में उपस्थित रहें ।

सरदार मजीठिया : श्रीमान्, छावनियों तथा भूमि का यह विशेष विषय मुझे दिया गया है और मैं सारी सूचना देने के लिये पूर्णतया तैयार हूं ।

श्री वी० पी० नायर : प्रश्न यह नहीं है ।

कुमारी एनी मस्करीन (त्रिवेन्द्रम) : सदन मंत्री की उपस्थिति चाहता है ।

श्री एस० एस० मोरे : संविधान की दृष्टि से, उन्हों ने जो स्थिति बताई है वह ठीक नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह नहीं है । कहां तक मैं समझ सकता हूं यहां किसी भी केबिनिट मंत्री या उप-मंत्री या किसी अन्य मंत्री का निर्देश नहीं है । संविधान की दृष्टि में सब मंत्री हैं । यदि माननीय मंत्री पूर्ण तथा विश्वास पूर्ण उत्तर दे सकते हैं सदन कोई शिकायत नहीं कर सकता ।

श्री बंसल : इस पत्र के पाने पर मैं मन्त्री महोदय के पास गया और उन्हें पत्र दिखा कर पूछा कि क्या वह इस पर कोई कार्यवाही करेंगे । उन्हों ने कहा, हां । श्रीमान्, मैं ने यह पत्र माननीय मंत्री को इस वर्ष ३० मार्च को लिखा था, क्या आप यह विश्वास करेंगे कि मुझे अभी तक उन से उस का प्राप्ति स्वीकृति-पत्र भी नहीं मिला है ।

श्री गाडगिल ने अभी कहा था कि छावनियों में छावनी बोर्डों द्वारा कोई सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की जाती है । इतना ही नहीं, अपितु जो भी सुविधायें दी जा रही थीं, हमारी स्वतन्त्रात्मक पश्चात् वे भी छीन ली गई हैं । मुझे याद है कि जब मैं बालक था, बच्चे सेना के खेल के मैदान में खेला करते थे । तत्पश्चात् एक भारतीय ओ० सी० मेरी छावनी का अधिकारी बन कर आया और उस ने बच्चों का वहां खेलना बन्द कर दिया । स्वतन्त्रता के पश्चात् छांवनियों में ऐसी ही घटनायें हो रही हैं । इस पर भी उपाध्यक्ष महोदय कहते हैं कि छावनियों में कोई अलोकतंत्रीय घटना के होने की शंका नहीं करनी चाहिये ।

श्रीमान्, रानी खेत एक ऐसी छावनी है जिस में असैनिक क्षेत्र पृथक नहीं है । सारे कर असैनिक जनसंख्या देती है । इन करों में हाल में ही वृद्धि भी कर दी गई है । इस पर भी परिणाम यह है कि वहां पीने के पानी तक का बड़ा अभाव है । इस का अनुमान कदाचित इससे लगाया जा सकता है कि पिछली गर्मियों में वहां गये एक व्यक्ति ने एक दैनिक पत्र में, वहां पानी के अभाव के बारे में एक

[श्री बंसल]

लेख दिया था और उसका शीर्षक था "रानी खेत या कर्बला"। इस अभाव का कारण है कि असैनिक जनता के लिये पानी के नल कुछ ही घंटों के लिये खोले जाते हैं। हमारी छावनियों में इसी प्रकार की सस्तियां हो रही हैं।

सम्पत्ति के बारे में भी स्थिति इतनी ही गम्भीर है। जब तक अंगरेज थे तब तक तो वहां के रहने वालों को कुछ मिल भी जतता था; अब उन लोगों को जीवीकोपार्जन में भी बड़ी कठिनाई उठानी पड़ रही है। कुछ महीने हुए हमारे प्रधान मंत्री रानीखेत गये थे; उन्होंने भी यही कहा था कि रानीखेत के लोगों की हालत भी वास्तव में बहुत खराब है। जब हम माननीय मंत्री जी से कहते हैं कि वे वहां कुछ सरकारी कार्यलय ले जायें तो वे कहते हैं कि कार्यलय मांग उन स्थानों से आती है जो अलोक प्रिय होते जा रहे हैं मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि हम लोगों की कठिनाइयां माननीय मंत्री के लिये मजाक का विषय बन रही हैं।

हाल ही में कुछ सम्पत्तियों के पटों को पुनरीक्षित किया जाना था मैं एक मामले के बारे में जानता हूं जिसमें पटे की दर ३०० प्रतिशत बढ़ा दी गई थी।

[श्रीमती रेणुचक्रवर्ती अध्यक्ष-पद पर आसीन हुईं]

अब सम्पत्ति के मूल्य में कमी हो रही है तो पटों की दर ३०० प्रतिशत बढ़ाई जा रही है। वहां के लोग इस विषय में बड़े परेशान थे। वे अपील भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उन की सम्पत्ति छावनी अधिकारियों द्वारा छीन न ली जाये। पुराने जमाने में ऐसा होता रहा है इसलिये लोग डरते हैं।

जहां तक लोकतंत्रीकरण का प्रश्न है, छावनी बोर्ड में इस समय ५३ प्रतिशत नामनिर्देशित अधिकारी हैं और शेष ४७ प्रतिशत निर्वाचित हैं इन छोटी छावनियों में निर्वाचित सदस्यों के सार्था आफ़ीसर कमान्डिग आदि अधिकारी बड़ी अशिष्टता के साथ व्यवहार करते हैं। इन छावनी बोर्डों में आजकल जो हो रहा है उसे आप सोच भी नहीं सकते। छावनी बोर्डों में सैनिक तथा असैनिक प्रतिनिधियों में शांति बनाये रखने का एक उपाय छावनी बोर्डों का प्रजातंत्रीकरण ही है। आप कुछ वशिष्ट क्षेत्र सेना के हितों की रक्षा करने के लिये अलग रख सकते हैं परन्तु छावनी बोर्डों में असैनिक जनता के लिये अलग व्यवस्था ही होनी चाहिये। मैं तो यहां तक सुझाव दूंगा कि असैनिक जनता द्वारा जो राजस्व इकट्ठा हो उसे उन क्षेत्रों के लिये काम में न लाया जाये जहां सेना के लोग रहते हों। रानीखेत एक ऐसी छावनी है जहां कोई अलग क्षेत्र नहीं है। सारा क्षेत्र छावनी वालों का है जिस का नतीजा यह है कि सैनिकों के लिये तो अच्छी से अच्छी व्यवस्था है और असैनिक जनता हमेशा नुक्सान में रहती है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस स्थिति को समझे और एक व्यापक विधेयक लाये ताकि छावनी अधिनियम में उचित संशोधन किया जा सके।

श्री एस० एस० मोरे : इस विधेयक से एक मूल बात यह उठती है कि स्थानीय स्वायत्त शासन के बारे में कांग्रेस, स्वाधीनता प्राप्ति से पहले जो यह कहा करती थी कि स्थानीय स्वायत्त शासन जनता को तथा उन के निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंप

दिया जाना चाहिये, उसे अब कहां तक निभाया जा रहा है । क्या अब, जब देश स्वतन्त्र हो गया है, हम लोगों को स्थानीय स्वायत्त शासन के अधिकार दे रहे हैं और क्या हम स्थानीय समस्याओं के स्थानीय लोगों द्वारा ही हल किये जाने के सिद्धान्त का अनुसरण कर रहे हैं ? इस विधेयक पर हमें किसी पार्टी या दल के आधार पर विचार नहीं करना चाहिये क्योंकि हम ऐसे मूल सिद्धान्तों पर बहस कर रहे हैं जिन पर प्रजातन्त्र का सारा ढांचा आधारित है ।

मेरा निवेदन यह है कि यह विधेयक हमें उल्टी दिशा में ले जा रहा है । वास्तव में इसका सब ही लोगों ने, कांग्रेस सदस्यों तक ने तीव्र विरोध किया है । संसद के सदस्य ही नहीं प्रदेश कांग्रेस समितियों के अधिकारी भी इस विधेयक के ख़िलाफ़ हैं ।

आप विधेयक के उपबन्धों पर विचार कीजिये । उदाहरण के लिये खंड ४ को लीजिये मूल अधिनियम में मूल धारा ४ के अनुसार छावनी अधिकारी को "किसी भी समय अपना क्षेत्र बढ़ाने" का अधिकार है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी: सभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि विधेयक के साथ उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण तथा मूल धारायें, जिन्हें संशोधित किया जा रहा है, क्यों नहीं लगाई गई हैं ?

सरदार मजीठिया : इस विधेयक के उद्देश्य तो स्पष्ट हैं । मैं समझता हूं इस में कोई विवादास्पद बात नहीं है । यह तो एक संशोधन विधेयक है जिस के द्वारा छावनियों के ठीक प्रकार से प्रशासित किये जाने के लिये कुछ धाराओं का संशोधन किया जा रहा है । इन संशोधनों के अलावा और कोई नई चीज़ नहीं लाई जा रही है ।

विधि तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री (श्री विस्वस) : मैं इस विषय में जो प्रथा है उसे बताता हूं । आप चाहें तो कार्यालय से इस प्रथा को ठीक करने के लिये कह सकते हैं । प्रथा यह है : यदि कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित किया जा कर दूसरे सदन को भेजा जाता है तो, उसे केवल वह विधेयक, संशोधित रूप में, भेजा जाता है—मूल विधेयक नहीं भेजा जाता । चाहिये तो यह कि मूल विधेयक और साथ साथ संशोधित विधेयक दोनों भेजे जायें । मूल विधेयक के साथ उद्देश्य तथा कारणों का विकास होता है, यदि वह संशोधन विधेयक होता है तो उस के कुछ भाग भी साथ होते हैं । मैं ने दूसरे सदन में इसका ज़िक्र किया था । मैं समझता हूं दूसरे सदन के सदस्यों को मूल विधेयक और विधेयक का इस सदन द्वारा पारित रूप भी दिया जाता है ।

सभापति महोदय : मैं आप को स्थिति समझा दूं । विधेयक के साथ, जैसा राज्य परिषद में उसे पुरःस्थापित किया था, वे सारी धारायें संलग्न थीं जिन्हें अब संशोधित किया जाता है । अब विधेयक को, राज्य-परिषद द्वारा संशोधित रूप में परिचालित किया गया है । इस तरह माननीय सदस्यों के पास दोनों विधेयक हैं । ख़ैर जो कुछ भी हो, भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि सारे विधेयकों के साथ उद्देश्य तथा कारणों का विवरण दिया जाये ।

श्री एस० एस० मोरे : इस से पहले कि मैं विधेयक के उपबन्धों के बारे में कुछ कहूं मैं छावनी संबंधी केन्द्रीय स्थिति की रिपोर्ट की ओर थोड़ा सा निर्देश करना चाहता हूं । उपमंत्री महोदय ने यह कहा कि इस विधेयक को समिति की सिफ़ारिशों को क्रियान्वित करने के इरादे से लाया गया है । इस बात से ऐसा लगता है जैसे सरकार

[श्री एस० एस० मोरे]

ने लोगों के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाई हो और उस समिति ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हों। मैं आप को बता दूं कि ऐसी कोई बात नहीं थी। समिति के अध्यक्ष श्री एस० के० पाटिल तो उस समय विश्व भ्रमण पर गये हुये थे। शेष सदस्य आई० सी० एस० के लोग थे। आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से बनी हुई समिति जनता के हितों को किस तरह ध्यान में रख सकती है इन लोगों को आरंभ से ही आम जनता के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार अपनाये रखने की शिक्षा दी जाती है। इस लिये हमें इस समिति के और उस की सिफ़ारिशों के बारे में किसी भूल में नहीं रहना चाहिये।

१९३६ के अधिनियम की धारा ४ के अनुसार स्थानीय सरकार को ही अधिकार दिये गये थे परन्तु बाद में एक संशोधन द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ये अधिकार ले लिये। यदि स्थानीय सरकार के पास ही अधिकार रहते तो कुछ विकेन्द्रीकरण हुआ होता परन्तु केन्द्रीय सरकार ने लोभ वश स्थानीय सरकार से सारे अधिकार ले लिये। अब जो संशोधन रखा जा रहा है उस से प्रतीत होता है कि शायद केन्द्रीय सरकार अपनी ग़लती समझ गई है और वह राज्य सरकारों तथा पर्षद् से सलाह लेने का प्रयत्न करेगी।

पांच वर्ष तक जिला बोर्ड, पूना का अध्यक्ष रहने के नाते मुझे यह अनुभव है कि छावनी पर्षद् किस तरह आम जनता के हितो की उपेक्षा करते हैं। जब मैं वहां था तो किरकी छावनी पर्षद् ने कुछ गांवों को अपने क्षेत्राधिकार में लेने का फैसला किया, और उसने बिना स्थानीय पर्षद को नोटिस दिये या जनता की राय लिये उन गांवों को अपने अधिकार में ले लिया। इस का नतीजा यह हुआ कि लोगों को बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ीं, स्कूल बन्द हो गये, पानी बन्द कर दिया गया और रोज़ गावं वालों पर मुकदमे के नोटिस आने लगे। मेरा निवेदन है कि यदि किसी क्षेत्र को शामिल किया जाये तो वहां के लोगों की राय अवश्य ली जानी चाहिये। पर्षद की राय लेने से कोई फायदा नहीं।

फिर खंड ५ को लीजिये। इसमें यह व्यवस्था है कि जब छावनी सेना का कोई व्यक्ति उपलब्ध न हो तो किसी सैनिक अधिकारी को तीन महीने की अवधि तक के लिये कार्यालय अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। हमारा यह अनुभव रहा है कि ये सैनिक अधिकारी जनता की भलाई की ओर कोई ध्यान नहीं देते और इन्हें आम लोगों के प्रति कठोरता से व्यवहार करने की शिक्षा मिलती है। इस उपबन्ध का हम ही नहीं बल्कि बहुत से और लोग भी विरोध कर रहे हैं।

इन पर्षदों (बोर्डों) की रचना के बारे में भी श्री गाडगिल आप को बता चुके हैं कि किस तरह इन्हें लोकतंत्र के सिद्धातों के विरुद्ध बनाया गया है। सभापति महोदया, यह विधेयक हमें पीछे की ओर ले जा रहा है। इस से सैनिक अधिकारियों और कार्यालय अधिकारियों को जनता पर पूरी कठोरता के साथ शासन करने के अधिकार दिये जा रहे हैं। मैं इस का तीव्र विरोध करता हूं।

मैं अनुभव करता हूं कि इस विधान से लोकतंत्र का खून हो जाता है। सरकार को जनता की बुद्धिमता में कोई विश्वास नहीं जान पड़ता। आप बाज़ार क्षेत्र का उदाहरण ही ले लें। वे सभी करों का भुगतान करेंगे, परन्तु उन पर शासन होगा, सैनिक अधिकारियों का। ऐसे क्षेत्रों पर भी सैनिक अधिकारी अपनी मनमानी चला सकेंगे। सदन को ऐसी स्थिति को सहन नहीं करना चाहिए।

मैं एक बार फिर इस विधान के सम्बन्ध मैं अपने प्रबल विरोध को व्यक्त करना चाहता

हूं । सरकार श्री गाडगिल तथा श्री बंसल के घोर विरोध पर विचार करे तथा इस विधान को वापस ले ले । वे ऐसा विधेयक प्रस्तुत करें जो प्रजातंत्र के सिद्धान्तों के अनुसार हो जिस से लोगों को यह अनुभव हो कि वे अपने घर के स्वयं मालिक हैं। मैं इस विशेष विधान का घोर विरोध करता हूं ।

श्री एन० एम० लिंगम : सभानेत्री जी, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। हमें अनुभव करना होगा कि छावनियां प्रजातंत्र के विकास के लिये उपयुक्त स्थान नहीं हैं । न ही हम इनमें प्रजातंत्र के प्रयोगों को करने का खतरा मोल ले सकते हैं।

छावनियां सर्वप्रथम सैनिकों का शिविर ही होतीं थीं । बाद में उनमें बारूदखाने सड़कें, हवाई अड्डे आदि भी बनने लगे। इसके साथ साथ असैनिक जनसंख्या भी बढ़ी । अब ऐसी अवस्था आन पड़ी है कि असैनिक आबादी की आवश्यकताओं तथा सैनिक प्रशासन के उद्देश्यों का सभ्यक सहयोजन हो । सैनिक जनसंख्या का असैनिक जनसंख्या से अलग करना बहुत कठिन है । ५६ छावनियों में से केवल एक के विषय में ही ऐसा करना संभव है । शेष की छावनियों में से १७ के विषय में असैनिक जनसंख्या को पार्श्ववर्ती स्थानीय प्रशासनों से मिलाया जा सकता है ।

इस समस्या को कुछ सीमा तक इस विधेयक द्वारा हक दिया गया है । सदन के सामने ३८ छावनियों की समस्या रह जाती है। जिसके बारे में सोचना यह है कि क्या हमें तथाकथित प्रजातंत्रवाद के पीछे दौड़ना है या इन क्षेत्रों को सेना की सुरक्षा स्वास्थ्य, सुविधा तथा कार्यक्षमता के उद्देश्य से सुरक्षित रखना है मैं समझता हूं कि उत्तर स्पष्ट है । प्रजातंत्रवाद के राग का इतना अधिक अलाप हमें चर्चाधीन विषय से बहुत परे ले जाता है ।

श्री बंसल ने रानीखेत के एकमात्र उदाहरण को लेकर सभी छावनियों के प्रशासन की निन्दा की है । हम इस भूल के शिकार हो सकते हैं । मैं अपने वैयक्तिक अनुभव से कह सकता हूं कि कुछेक छावनियों में सुविधाएं और सेवाएं नगरपालिकाओं द्वारा प्रशासित क्षेत्र से भी अधिक अच्छी है ।

सरकार ने इस विधेयक में सुधार की आवश्यकता का अनुभव किया है । इसके साथ साथ उन्होंने सेना के हितों को सामने रखा है । छावनियों को अब वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रशासित किया जाता है तथा विभिन्न बोर्डों में बांटा गया है। इस से अधिक प्रजातंत्रवाद क्या होता है ? इस विधेयक को केवल इस लिये प्रतिक्रियावादी नहीं कहा जा सकता कि छावनी बोर्ड जांच समिति के कुछ सदस्य आई० सी० एस० या सशस्त्र सेनाओं में से लिये गये थे। जनरल थिमैय्या जैसे उच्च अधिकारी पर जो इस समय विदेश में हमारे शांति के दूत बनकर गये हैं, आशंका का करना अत्यन्त अनुचित है । उन पर देशभक्त न होने का लांछन लगाने से काम नहीं चलेगा। इस समिति के सभापति श्री एस० के० पाटिल जैसे उच्च कोटि के देश भक्त थे जो स्थानीय प्रशासन के क्षेत्र में भी बहुत अनुभवी हैं । हमें इस खतरे के बारे में भी सावधान रहना चाहिए ।

मैंने इस विधेयक के खंड ४ के सम्बन्ध में एक संशोधन की सूचना दे रखी है । मैं इसका यहां सामान्य निर्देश करना चाहता हूं। छावनियों के क्षेत्राधिकार में किसी परिवर्तन के करते समय केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने से पहले स्वयं छावनी अधिकारियों

[श्री एन० एम० लिंगम]

से भी परामर्श करना पड़ता है। मैं अनुभव करता हूं कि पार्श्ववर्ती स्थानीय निकाय से भी परामर्श लिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे परिवर्तन से सम्बन्धित निकाय के हितों पर विशेष प्रभाव पड़ता है।

विधेयक में मुख्य उपबन्ध छावनी बोर्डों द्वारा कुछ अधिकारों के प्रबन्धक अधिकारी को सौंपने के बारे में है। मैं चाहता हूं कि उस या किसी और अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहियों को बाद में छावनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाय ताकि अधिकारों का दुरुपयोग न हो सके।

असैनिक क्षेत्र समिति को एक ढोंग बतलाया गया है। परन्तु यह काम हमारा है कि यदि वे अधिनियम में अभिप्रेत अधिकारियों का वास्तव में प्रयोग न कर सकें तो हम ऐसे प्रयोग को प्रोत्साहित करें। ऐसी समितियों के दैनिक कार्य में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त संभव है कि प्रबन्ध अधिकारी या बोर्ड के दूसरे अधिकारी अपने कर्त्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन न करें। इसे रोकने के लिये सरकार को ऐसी निश्चित व्यवस्था करनी चाहिए जिस से प्रबन्धक अधिकारी तथा बोर्ड में भेजे गये मनोनीत व्यक्ति केवल अनुभवी सैनिक अधिकारियों में से लिये जायें जो असैनिक क्षेत्रों में बसने वाले व्यक्तियों की भावनाओं का भी सम्मान करें। रक्षा मंत्रालय को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे अपराधी अधिकारी स्थानान्तरित किये जायें अथवा उन्हें किसी अन्य प्रकार से दंड दिया जाय।

मैं कहना चाहता हूं कि छावनियों के कार्य-सम्पादन के बारे में जांच करने वाली समिति को छावनियों के प्रशासन को प्रजातंत्रात्मक बनाने का पूरा आभास था, परन्तु उन्हें सैनिकों और असैनिकों के हितों को एक साथ सुरक्षित करने में सदैव यह एक अड़चन जान पड़ी। समिति के सभापति ने कहा है कि "सुरक्षा, अनुशासन तथा स्वास्थ्य के विचार से, जो बातें सेना की कार्यक्षमता के लिये आवश्यक हैं, हमारा यह मत है कि छावनियों के प्रशासन को असैनिक बहुसंख्या के हाथों में सौंप देने से अत्यन्त खतरा है।" अतएव समिति के प्रति न्याय करने तथा छावनियों की वास्तविक परिस्थिति के अनुसार कार्यवाही करने के उद्देश्य से हमें इस विधेयक का पूरा पूरा समर्थन करना चाहिए।

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : सभानेत्री जी, अभी समाप्त हुए भाषण के सिवाय सभी भाषणों में इस विधेयक को प्रतिक्रियावादी तथा प्रजातन्त्रवाद के विरुद्ध बतलाया गया है। इस से पता चल जाता है कि सत्तारूढ़ दल देश में किस प्रकार के प्रजातन्त्रवाद की स्थापना कर रहा है। सरकार ने अखिल भारतीय छावनी संस्था के प्रधान श्री गाडगिल की रिपोर्ट पर भी कोई ध्यान नहीं दिया है। माननीय मंत्री ने छावनियों के प्रशासन के बारे में १९४७ के बाद हुए 'स्पष्ट परिवर्तनों' का निर्देश किया है। परन्तु उन का भाषण स्वयं अपना खण्डन करता है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा है कि छावनियों को प्रजातन्त्रवाद के विकास का अड्डा नहीं बनाया जा सकता। इस से स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि वे सेना को जनता का मित्र नहीं बनने देना चाहते। वे नहीं चाहते कि सेना को अपने देशवासियों के प्रति सहानुभूति हो।

इस विधेयक में हम देखते हैं कि पूर्ववत्त एक मनोनीत प्रधान, मनोनीत सैनिक समान अधिकारी तथा मनोनीत सैनिक बहुसंख्या की व्यवस्था की गई है। इस विधेयक में प्रगति की दिशा में एक भी और पग नहीं

उठाया गया है। वर्तमान सरकार भी ब्रिटिश सरकार की भांति सेना को जनता से पूर्णतः अलग रखना चाहती है। आखिर असैनिक क्षेत्रों में नगरपालिकाओं की स्थापना क्यों नहीं हो सकती जिस से असैनिक जनता सैनिकों के साथ मैत्रीपूर्ण ढंग से रह सके।

माननीय सदस्य भविष्य में एक और व्यापक विधेयक के प्रस्तुत करने की बातें करते हैं, परन्तु निकट भविष्य में तो ऐसा होना सम्भव नहीं जान पड़ता। सम्भवतः उन का विचार है कि देश की राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थिति ऐसी है कि सेना को जनता के विरुद्ध प्रयोग में लाने की सम्भावना हो सकती है। केवल पिछले ही वर्ष दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करते समय मैजिस्ट्रेटों को शान्तिमय ढंग से एकत्र हुए लोगों के विरुद्ध भू-सेना, जल सेना तथा वायु सेना से काम लेने के अधिकार दिये गये थे। एक ओर तो जनता को मूल अधिकार दिये जाते हैं, परन्तु दूसरी ओर विभिन्न तरीकों से वे उस से छीन लिये जाते हैं। यदि उन का विचार ऐसा नहीं है तो वे अपने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को क्यों नहीं बदलते ?

श्री गाडगिल की बातों से उन के सम्बन्धित सदस्यों की आंखे खुलनी चाहियें थीं, परन्तु वे उन्हें भूल कर दूसरे देशभक्त सदस्य की बातों का ही निर्देश करते हैं तथा भविष्य में अधिक व्यापक विधेयक के प्रस्तुत होने की आशा की आड़ लेते हैं। उन का कहना है कि अन्तिम रूप से व्यक्तियों का आचरण महत्वपूर्ण बात है। इस का अर्थ है कि उन्हें किसी ऐसे विधेयक की यहां पर प्रस्तुति पर आपत्ति नहीं है जिस से लोगों को किसी नगरपालिका के लिये मत देने या प्रजातन्त्रात्मक संस्था की स्थापना की मांग के अधिकार से वंचित कर दिया गया हो। हम निश्चय ही ऐसे विधेयक का विरोध करेंगे तथा हमारी यह मांग है कि छावनियों को प्रजातन्त्रात्मक आधार पर प्रशासित होना चाहिये।

विधेयक में एक उपबन्ध यह रखा गया है कि पार्श्ववर्ती स्थानीय निकाय का कोई सदस्य छावनी बोर्ड का सदस्य नहीं बन सकता। ऐसा क्यों ? संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि प्रत्येक नागरिक को एक से अधिक संस्था का निर्वाचित सदस्य बनने का अधिकार होगा। मेरा निवेदन है कि खण्ड ७ को निकाल दिया जाये।

मैं अपने संशोधनों पर विधेयक के खण्डशः विचार के क्रम पर बोलूंगा। मैं विधेयक का विरोध करता हूं तथा मेरी यह मांग है कि सेना को जनता से अलग न रखा जाय तथा छावनियों की असैनिक जनता पर सैनिक अधिकारियों का प्रभुत्व न हो।

श्री एम० खुदा बख्श (मुर्शिदाबाद) : मैं कभी जिला स्थानीय बोर्ड का सभापति नहीं रहा और न ही कभी किसी छावनी में रहा हूं इस लिये मैं विधेयक पर निष्पक्ष रूप से विचार कर सकता हूं।

स्थानीय स्वायत्त शासन के सम्बन्ध में मेरे कोई पूर्व निश्चित विचार नहीं है। विधेयक पर चर्चा करते हुए सर्व प्रथम हमें यह जान लेना चाहिये कि छावनी क्या है। छावनी वह स्थान है जहां सैनिक रहते हैं।

मेरे माननीय मित्रों ने छावनियों की उत्पत्ति का इतिहास बताया है कि किस प्रकार असैनिक जनता वहां जा कर रहने लगी। कुछ सदस्य लोकतन्त्र की दुहाई दे रहे थे। इसी प्रकरण में, छावनियों के सम्बन्ध में गंभीरता से विचार करना है। वहां एक प्रकार का अनुशासित जीवन होता है जिसे हम म से बहुत नहीं समझते। जवानों के ऊपर कमांडिंग पदाधिकारी लगा दिये जाते

[श्री एम० खुदा बख्श]

हैं, वे उन का चुनाव नहीं करते । उन्हें तो अपने कमांडिंग पदाधिकारी के आदेश पर जान तक देनी पड़ती है । उन के बीच लोकतन्त्र की दुहाई देना भयानक है ।

हमें ऐसा बताया गया है कि देश में छावनियों के नगर ५६ हैं जिन में से केवल एक ही में असैनिक जनसंख्या इतनी है कि वहां एक असैनिक समिति अथवा बोर्ड बनाया जा सकता है जो सैनिक क्षेत्रों पर निर्भर न हो। और १७ छावनियों में ऐसे क्षेत्र हैं जो साथ के स्थानीय क्षेत्रों में मिलाये जा सकते हैं। विरोधी दल के मित्रों की यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि कुछ क्षेत्रों को काट कर स्थानीय प्राधिकारियों को दे देने पर सैनिक और असैनिक जनता किस प्रकार मैत्री तथा प्रेम भाव से रह सकती है ।

श्री मोरे ने प्रश्न किया है कि क्या स्वायत्त शासन सम्बन्धी हमारी घोषणायें सत्य हैं । छावनी के बोर्डों में ५३ प्रतिशत नाम निर्देशित और ४७ प्रतिशत निर्वाचित सदस्य होते हैं । छावनी की जनसंख्या कभी स्थायी नहीं होती । कभी वहां सैनिक कर्मचारी बहुत कम होते हैं तो कभी वे विशेष छावनी में केन्द्रित हो जाते हैं । इसलिये यदि सैनिक कर्मचारियों के पास सदस्यता के ६ पद अधिक हैं तो इस लोकतन्त्र का हनन नहीं हो जाता । तो भी यदि हम तथ्यों को देखें तो छावनी में मध्यमान जनसंख्या क्या है ? क्या वहां असैनिक जनसंख्या से सैनिक जनसंख्या अधिक होती है ? हम इस बात को क्यों भूल जाते ह कि छावनी की सैनिक जनसंख्या अज्ञात होती है । सैनिक जनसंख्या का आधार तो परिस्थितियों पर है । न जाने कल क्या घटना हो और हमें सैनिक शक्ति को बढ़ाना पड़े ।

श्री गाडगिल : वह तो आपात-काल की बात है । शक्ति काल में तो लोकतन्त्र की संस्थायें ही चलनी चाहियें ।

श्री एम० खदा बख्श : निस्संदेह आज शान्तिकाल है परन्तु कल क्या होगा यह हम नहीं जानते । मेरे मित्र एक मूल भूत बात को भुला रहे हैं कि छावनी एक नगर अथवा शहर नहीं है । वह छावनी है । छावनी का सम्बन्ध सेना से है । मेरे माननीय मित्र श्री मोरे ने सैनिक प्राधिकारियों को सेना की कठपुतलियां कहा है । यह कहना ठीक नहीं है ।

मैं अपने से पूर्व वक्ता का समर्थन करता हूं कि सुधार की कुछ गुंजाइश अवश्य है । यदि यह तथ्य है कि छावनी में कोई सम्पत्ति नहीं रख सकता तो मैं समझता हूं कि असैनिक क्षेत्रों में तो स्वामित्व के अधिकार की मांग को तो सैनिक अधिकारी स्वीकार कर ही सकते हैं । यह युग बन्दूकों की लड़ाई का नहीं है । हम आज अणु युग में रह रहे हैं । इस समय लोगों की इस लोकप्रिय मांग के लिये विधान बनाना चाहिये ताकि वे विशेषत: असैनिक क्षेत्रों में तो सम्पत्ति रख सकें ।

दूसरी दु:खजनक बात जो मैं ने सुनी है वह यह है कि पट्टे की राशि ३०० प्रतिशत गढ़ा दी गई है । वस्तुत छावनी की सम्पत्तियों का मूल्य गिर चुका है और वहां व्यापारी लोगों का बहुत लाभ नहीं हो रहा है । इसलिये यह कार्य तर्कसंगत होगा कि माननीय मंत्री इस विषय पर ध्यान दें और उन विशेष छावनियों के बोर्डों को किराये घटाने के लिये कहें ।

यह विधेयक कदापि स्थानीय स्वायत्त शासन का विरोधी नहीं है । सुधार की गुंजाइश अवश्य है जो कि हम अनुभव से कर सकते हैं ।

श्री यू० एम० त्रिवदी : श्री खुदाबख्श के भाषण को सुन कर ऐसा प्रतीत होता है

कि जैसे वे सैनिकों के उजले सुन्दर कपड़ों से ही प्रभावित हुए हों। उन्हों ने वहां का अच्छा और वाह्य चित्र ही प्रस्तुत किया है।

छावनी अधिनियम एक कलंक है अर्थात् वह भारत के लोकतन्त्र के नाम पर कलंक है। प्रत्येक सैनिक केन्द्र में सैनिक-जनों की सफाई, चिकित्सा आदि आवश्यकताओं पर सेना की ओर से पूरा ध्यान दिया जाता है। उन के लिये अच्छी सड़कों और सफाई के साधनों का प्रबन्ध किया जाता है। फिर वे असैनिक लोगों के क्षेत्र पर नियंत्रण क्यों करना चाहते हैं? १९२४ के छावनी अधिनियम में छोटे म्युनिसिपल बोर्ड अथवा जनता के लिये सुविधाओं का उपबन्ध नहीं किया गया था। वरण उस में कुछ घृणास्पद साधन अपनाये गये थे जिन के कारण उन दिनों हमें अंग्रेज़ पदाधिकारियों के हाथों पीड़ित होना पड़ता था और आज उसी प्रकार हमें वर्तमान सैनिक पदाधिकारी भी तंग कर रहे हैं। उसी प्रकार की अहमण्यता उन्हें परम्परा से प्राप्त हुई है।

इस छावनी अधिनियम में तीन प्रकार के छावनी बोर्डों का वर्गीकरण दिया है। एक प्रथम श्रेणी जिस की जनसंख्या १०,००० से ऊपर हो, एक द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी जिस की जनसंख्या २५०० से कम हो। इन सब श्रेणियों में, जनसंख्या का ध्यान न रखते हुए सात व्यक्ति सामान्य जनता द्वारा चुने जायेंगे और आठ व्यक्ति सेना की ओर से होंगे। इस छावनी बोर्ड में सैनिक-जनों का सदा ही बहुमत होगा चाहे कितनी ही असैनिक जनता का नियंत्रण करना हो। वे स्थानीय विषयों में भी नागरिकों पर रोब डालते हैं। छावनी अधिनियम की धारा २३७, २३८ और २३९ में कुछ निर्वासन आदेश दिये जा सकते हैं। 'राजद्रोह' शब्द की परिभाषा करना कठिन है। कमांडिंग पदाधिकारी इस आधार पर किसी को भी निर्वासित कर सकता है। उस के पास विस्तृत अधिकार हैं। अधिनियम में म्युनिसिपल सुविधायें नहीं दी गई। उस में तो केवल सैनिक कर्मचारी-वृन्द के लिये अधिकार का उपबन्ध किया गया है। ऐसा उपबन्ध है कि छावनी बोर्ड सार्वजनिक नीलामी में दुकानों को तीन वर्ष के लिये पट्टे पर दे सकता है। परन्तु होता यह है कि कमांडिंग पदाधिकारी बिना सार्वजिनकि नीलामी के अपने चापलूसों को अथवा अपनी मन पसन्द के व्यक्तियों को दुकानें बख्शीश के रूप में दे देता है। जैसा श्री बंसल ने कहा है यह सत्य है कि छावनियों में असैनिक क्षेत्र गंदे हैं परन्तु क्या उन असैनिकों के जीवन को सुखी बनाने और उन्हें सुविधायें प्रदान करने के लिये कोई प्रयत्न हो रहे हैं। उन के जीवन को तो और अधिक दुःखदायी बनाया जा रहा है। छावनी बोर्ड की बैठकों में अहमण्यता फैली हुई है। कुछ बड़े बड़े नागरिक चुनाव के अपने ढगों से बोर्ड में घुस आते हैं। उन के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं सुनी जाती। क्योंकि बोड का सभापति कमांडिंग पदाधिकारी है जिसे हराया नहीं जा सकता। छावनी में एक ही दण्डाधीश होता है और वह भी छावनी बोड का सदस्य होता है। बोर्ड के विरुद्ध किसी शिकायत पर स्वभावतः उस का निर्णय एक पक्षीय रहता है। यह विधेयक तो बस पुराने काल की एक वस्तु है, जब अंग्रेज़ों का शासनकाल था और वे गोरे व्यक्ति की महत्ता को बनाये रखना चाहते थे। आज हम लोकतन्त्र में रह रहे हैं। इस में प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह सैनिक हो अथवा असैनिक साधारण नागरिक हो अथवा पदाधिकारी, दरिद्र हो या धनाड्य समान अधिकार देने हैं। उन्हें नगरीय स्तर पर अपने भाग्य का नियंत्रण स्वयम करना है। इस विधेयक में कुछ बातें तो अत्यन्त

[श्री यू एम० त्रिवेदी]

दोषपूर्ण है। जैसा श्री मोरे ने कहा है सैनिकजनों को अधिकार प्राप्त है कि छावनी के आस पास जिस क्षेत्र को भी छावनी में मिलाना चाहें मिला सकते हैं। इस विधेयक में भी ऐसी दोषपूर्ण बातों को दोहराया गया है।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि जहां तक छावनी अधिनियमों का सम्बन्ध है, वे भारत के गणराज्य पर एक कलंक है। मैं विधेयक का विरोध करता हूं।

सदन का कार्यक्रम

सभापति महोदय : मैं एक घोषणा करना चाहती हूं।

सार्वजनिक निगमों पर संसदीय नियत्रण के सम्बन्ध में, डा० लंका सुन्दरम् के नाम में, जो कल ६ से ७ प० म० तक होनी थी वह ५-३० प० म० से आरम्भ हो कर ६-३० प० म० तक जारी रहेगी।

इस के पश्चात् सदन की बैठक बृहस्पतिवार १० दिसम्बर १९५३ के डेढ़ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।